VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material

(May 2019 to February 2020)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

विषय सूची

1. महिलाएं एवं बच्चे 3

1.1. वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 3
1.2. सतत विकास लक्ष्य जेंडर इंडेक्स 4
1.3. बीजिंग+25 की समीक्षा पर राष्ट्रीय परामर्श 5
1.4. महिला संरक्षण से संबंधित कानून 6
1.4.1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 6
1.4.2. घरेलू हिंसा 7
1.4.3. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न 8
1.5. महिला के प्रजनन अधिकार से संबंधित विधेयक 9
1.5.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020 9
1.5.2. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 10
1.6. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 11
1.7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 11
1.8. भारत में दत्तक ग्रहण 13

2. अन्य सुभेद्य समूह 16

2.1. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 16
2.2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 17
2.3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक 19
2.4. हाथ से मैला उठाने की प्रथा 20
2.5. विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदाय 21
2.6. वन धन विकास केंद्र 22
2.7. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 23

3. शिक्षा 25

3.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 25
3.2. स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 28
3.3. पीसा टेस्ट 29
3.4. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019 30
3.5. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 31
3.6. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम 32
3.7. नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 33
3.8. प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना 34
3.9. इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस 34
3.10. स्टडी इन इंडिया 35
3.11. क्यू.एस. भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग 36

4. स्वास्थ्य 38

VISION IAS

4.1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 38
4.2. स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019 40
4.3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल 40
4.4. मातृ मृत्यु दर में गिरावट 42
4.5. स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत 43
4.6. WHO इंडिया कंट्री सहयोग रणनीति 44

5. पोषण और स्वच्छता 48

5.1. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 48
5.2. विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति, 2019 49
5.3. ईट राइट इंडिया अभियान 50
5.4. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 51

6. विविध 54

6.1. मानव विकास रिपोर्ट, 2019 54
6.2. सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, 2019 54
6.3. जनसंख्या शोध केंद्र 55
6.4. नए खाद्य पैकेजिंग मानदंड 56
6.5. रिपोर्ट और सूचकांक 57
6.6. पुरस्कार 58

1. महिलाएं एवं बच्चे

(Women and Children)

1.1. वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020

(Global Gender Gap Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)** द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 जारी की गई।

विश्व आर्थिक मंच

- इसकी स्थापना वर्ष 1971 में एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय **स्विट्ज़रलैंड** के **जेनेवा** में स्थित है।
- यह सार्वजनिक-निजी सहयोग पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मंच वैश्विक, क्षेत्रीय तथा औद्योगिक एजेंडा को आकार प्रदान करने के लिए राजनीति, व्यावसाय एवं सामाजिक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों को संलग्न करता है।

इस रिपोर्ट के बारे में

- इसे सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रकाशित किया गया था।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2020 में निम्नलिखित **चार विषयगत आयामों** के अंतर्गत लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति के आधार पर 153 देशों को रैंक प्रदान की गयी है:
  - आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity);
  - शैक्षणिक उपलब्धि (Educational Attainment);
  - स्वास्थ्य और उत्तरजीविता (Health and Survival); तथा
  - राजनीतिक सशक्तीकरण (Political Empowerment)।
- इसके अतिरिक्त, इस वर्ष की रिपोर्ट में भविष्यगामी व्यवसायों में लैंगिक अंतराल से संबंधित संभावनाओं का भी परीक्षण किया गया है।

भारत का प्रदर्शन

- **भारत को 112वां स्थान** (विगत वर्ष की तुलना में चार स्थान की गिरावट) प्राप्त हुआ है और यह समग्र लैंगिक अंतराल में लगभग दो तिहाई स्कोर के निकट है (स्कोर 66.8%)।
- हालांकि, **भारत में राजनीतिक सशक्तीकरण में सुधार हुआ है, परन्तु यह अन्य तीन संकेतकों के मामले में पिछड़ा हुआ है।**
- भारत 153 देशों में एकमात्र देश है, जहाँ राजनीतिक लैंगिक अंतराल की तुलना में आर्थिक मामलों में लैंगिक अंतराल अधिक है।
- स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में व्याप्त अंतराल, मुख्य रूप से **जन्म के समय असामान्य रूप से निम्न लैंगिक अनुपात** (प्रत्येक 100 बालकों पर 91 बालिकाएं), महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बलात विवाह और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच में भेदभाव के कारण व्यापक हुआ है।
- शिक्षा में लैंगिक अंतराल के संदर्भ में प्रवृत्तियां अधिक सकारात्मक हैं।
  - प्राथमिक से तृतीयक स्तर की शिक्षा में, विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने में बालिकाओं की हिस्सेदारी बालकों की तुलना में निरंतर बढ़ रही है।
  - तथापि, 82% पुरुषों की तुलना में केवल 66% महिलाएं ही साक्षर हैं।

VISION IAS

BANGLADESH TOPS THE SUBCONTINENT ON GENDER EQUALITY

Overall Gender Gap Index

Global Top 5

	Score
Iceland	0.877
Norway	0.842
Finland	0.832
Sweden	0.82
Nicaragua	0.804

India and its neighbours

Rank	Country	Score
50	Bangladesh	0.726
89	China	0.676
101	Nepal	0.68
102	Sri Lanka	0.68
112	India	0.668
131	Bhutan	0.635
151	Pakistan	0.564

99.5 years | Time to close overall gender gap in scenario as assessed by 2020 Gender Gap report. This is almost 10 years less than that measured in the last edition

Sub Index	India rank
Political Empowerment	18
Health and survival	150
Educational Attainment	112
Economic participation and opportunity	149

1.2. सतत विकास लक्ष्य जेंडर इंडेक्स

(SDG Gender Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक लैंगिक समानता के मापन हेतु **SDG जेंडर इंडेक्स** (SDG लैंगिक सूचकांक) नामक एक नए सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को **129 देशों में से 95वां स्थान** प्राप्त हुआ है।

SDG जेंडर इंडेक्स के बारे में

- इसे **"इक्वल मेजर 2030" (Equal Measures 2030)** और इसके भागीदार संगठनों द्वारा द्वारा तैयार किया गया है। इक्वल मेजर 2030 निम्नलिखित क्षेत्रीय एवं वैश्विक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है:
  - अफ्रीकन वुमन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क;
  - एशियन-पैसिफ़िक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर वुमन;
  - बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन;
  - प्लान इंटरनेशनल; और
  - इंटरनेशनल वुमन हेल्थ कोएलिशन।
- इस सूचकांक में 14 SDGs के अंतर्गत सम्मिलित 51 लैंगिक विशिष्ट संकेतकों को शामिल किया गया है। (उल्लेखनीय है कि कुल आधिकारिक SDGs की संख्या 17 है।) इनमें निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यस्थल पर समानता जैसे पहलुओं को कवर किया गया है।
- समग्र सूचकांक स्कोर 0-100 के स्केल पर आधारित है। यहाँ 100 का स्कोर अंतर्निहित संकेतकों के संबंध में पूर्ण लैंगिक समानता की उपलब्धि को इंगित करता है।

भारत से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- भारत को रैंकिंग में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों में निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में शामिल एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 23 देशों में भारत को 17वां स्थान (56.2 स्कोर के साथ) प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भारत निम्न श्रेणी के देशों में सम्मिलित है।
  - इस सूचकांक में भारत को प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख और पोषण तथा ऊर्जा जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत **उच्च अंक** प्राप्त हुए हैं।
  - इस सूचकांक में भारत को संसद में महिलाओं द्वारा प्राप्त सीटों का अनुपात और भागीदारी (विश्व भर के 10 निम्न श्रेणी वाले देशों में), उद्योग, अवसंरचना, नवाचार तथा जलवायु जैसे लक्ष्यों के अंतर्गत **निम्न अंक** प्राप्त हुए हैं।

VISION IAS

1.3. बीजिंग+25 की समीक्षा पर राष्ट्रीय परामर्श

(National Consultation on the Review of Beijing+25)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA)** के अंगीकरण की 25वीं वर्षगांठ पर महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और UN वीमेन द्वारा बीजिंग+25 की समीक्षा पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA) (वर्ष 1995) के बारे में

- BPfA को चतुर्थ **वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन वीमेन** (वर्ष 1995) के दौरान अंगीकृत किया गया था।
    - **बीजिंग** में आयोजित चतुर्थ **वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन वीमेन** (वर्ष 1995), संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था। यह लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण पर विश्व के ध्यान सकेन्द्रण के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
    - संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के मुद्दों पर चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। तीन अन्य विश्व सम्मेलनों में प्रथम वर्ष 1975 में मेक्सिको में, द्वितीय वर्ष 1980 में कोपेनहेगन में और तीसरा नैरोबी में वर्ष 1985 में आयोजित हुआ था।
- **BPfA** महिलाओं की उन्नति और चिंतनीय 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिए रणनीतिक उद्देश्यों एवं कार्यवाहियों को निर्धारित करता है।
- **कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ़ वीमेन (CSW)** द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में BPfA के कार्यान्वियन संबंधी वैश्विक प्रगति की समीक्षा की जाती है।
    - CSW, **संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)** का एक कार्यात्मक आयोग तथा प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी निकाय है, जो अनन्य रूप से लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- BPfA कानूनी रूप से **बाध्यकारी दस्तावेज़ नहीं** है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है।
- इसने पहली बार **बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, जननांग विकृति और प्रसव-पूर्व लिंग चयन** जैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए **"बालिकाओं के विरुद्ध निरंतर भेदभाव तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन"** जैसे विषयों को चिंता के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में शामिल करने की सुविधा प्रदान की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women: NCW) के बारे में

- यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत **वर्ष 1992** में स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- इस आयोग में महिलाओं के हितों के लिए समर्पित एक अध्यक्ष तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव सम्मिलित होते हैं
- आयोग के सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है।
- **आयोग के अधिदेश (Mandate of commission):**
    - महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;
    - महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;
    - समय-समय पर भारतीय महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना;
    - महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का समाधान करना;
    - बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना आदि।

VISION IAS

यू.एन. वीमेन (UN Women) के बारे में:

- यह वर्ष 2010 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति समर्पित है।
- यह **सतत विकास लक्ष्यों के विज़न को महिलाओं और बालिकाओं हेतु व्यवहार्य बनाने के लिए** विश्व स्तर पर कार्यरत है तथा सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

1.4. महिला संरक्षण से संबंधित कानून

(Laws Related to Protection of Women)

1.4.1. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

(Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति ने **मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019** को स्वीकृति प्रदान की है। यह शाह बानो वाद के पश्चात् अधिनियमित **मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986** {Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986} को प्रतिस्थापित करेगा।

वर्ष 2019 के इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **यह अधिनियम तत्काल तीन तलाक व्यवस्था (तलाक-ए-बिद्दत) को निरर्थक एवं गैर-कानूनी घोषित करता है।**
- यह अधिनियम **तत्काल तीन तलाक प्रथा** को **एक दंडनीय अपराध** घोषित कर, इस संबंध में **तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान** करता है।
- इसे (तालक देने अथवा कहने को) **संज्ञेय अपराध** के रूप में वर्णित किया गया है। यदि विवाहित मुस्लिम महिला (जिसे तलाक दिया गया है) या उसके रक्त या विवाह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने के संबंध में सूचना दी जाती है, तो उक्त स्थिति में इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा।
    - संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
- यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने तथा विवाद को सुलझाने हेतु सहमत हों तो यह अधिनियम **निकाह हलाला** की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी **सुलह हेतु अवसर** प्रदान करता है।
- **भत्ता:** जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, वह अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। भत्ते की राशि **मजिस्ट्रेट** द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- **अभिरक्षा (कस्टडी):** जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार का तलाक दिया गया है, वह अवयस्क बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकृत है। अभिरक्षा के तरीकों का निर्धारण **मजिस्ट्रेट** द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2017 के मूल विधेयक में किए गए परिवर्तन

- प्रथम, यह अधिनियम केवल ऐसे **अपराध को संज्ञेय** के रूप में वर्णित करता है, जब किसी महिला (जिसे तलाक दिया गया है) या उसके रक्त या विवाह से संबंधित व्यक्ति द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है;
- द्वितीय, **इस अपराध को समाधेय (compoundable) स्वीकार किया गया है**, अर्थात् संबंधित पक्ष आपस में मामले को सुलझा सकते हैं; और
- तृतीय, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि **मजिस्ट्रेट, पत्नी के पक्ष को सुनने के उपरांत पति को जमानत** दे सकता है।

तलाक/अलगाव के विभिन्न रूप

- **तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत)** को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। **तलाक-ए-बिद्दत** की प्रथा के तहत जब कोई व्यक्ति एक बार में, फोन या लिखित संदेश या तलाकनामा में उल्लेख के माध्यम से तीन तलाक का उच्चारण करता है, या लिखता है, तो तलाक को तत्काल प्रभावी या अटल (irrevocable) माना जाता है, भले ही वह व्यक्ति बाद में पुन: सुलह करने का इच्छुक

हो।

- ऐसे दंपति के लिए अपने दाम्पत्य जीवन में वापस आने का एकमात्र तरीका **निकाह हलाला** है। इसके उपरांत ही पत्नी अपने पति के संग पुन: जीवन यापन कर सकती है।

- **तलाक-उल-सुन्नत:** इसके अंतर्गत, पति द्वारा तलाक दिए जाने के पश्चात् पत्नी को तीन माह की इद्दत अवधि का पालन करना होता है तथा इस दौरान पति पत्नी के साथ समझौता और सुलह कर सकता है। इस तीन माह की अवधि के दौरान, दंपति के मध्य सहवास की स्थिति में तलाक अमान्य हो जाता है।
  - हालांकि, इद्दत की अवधि समाप्त हो जाने और पति द्वारा तलाक को अस्वीकृत न करने की स्थिति में तलाक अटल और अंतिम होता है।
  - इसे मुस्लिमों में विवाह अनुबंध के विघटन का आदर्श रूप माना जाता है।
- **निकाह हलाला:** इस प्रथा के तहत तलाक की प्रक्रिया से गुजरने वाली मुस्लिम महिला को अन्य पुरुष से निकाह करना होता है और निकाह पूर्ण होने के पश्चात् उसे अपने पति से तलाक लेना होता है। केवल तभी वह अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने की पात्र हो सकती है।

1.4.2. घरेलू हिंसा

(Domestic Violence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिला के निर्वाह हेतु भुगतान का उत्तरदायित्व पति के भाई पर भी बनता है, यदि वह किसी भी समय संयुक्त परिवार के एक सदस्य के रूप में उसी घर में रहा हो जिसमें महिला निवास करती थी।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (The Protection of Women from Domestic Violence Act: PWDVA), 2005

- PWDVA के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित **'महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन'** (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women: CEDAW) के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में भारत ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी।

प्रमुख प्रावधान

- **घरेलू हिंसा की परिभाषा: इस अधिनियम द्वारा घरेलू हिंसा की परिभाषा का विस्तार करते हुए** उसमें शारीरिक हिंसा सहित मौखिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा को भी शामिल किया गया है।
  - अपनी परिभाषा में यह कानून व्यापक है- **"घरेलू संबंध" (domestic relationship) के अंतर्गत विवाहित महिलाएं, माताएं, बेटियां और बहनें शामिल हैं।**
  - यह कानून न केवल विवाहित महिलाओं की रक्षा करता है, बल्कि माता, दादी सहित परिवार के अन्य सदस्यों और **लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं** को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
  - हालाँकि, इस अधिनियम में वैवाहिक बलात्कार से संबंधित दुर्व्यवहार को सम्मलित नहीं किया गया है।
- **घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण:** इस अधिनियम के तहत, महिलाएं घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा एवं वित्तीय मुआवजे की मांग कर सकती हैं और यदि वह अलग रह रही हैं तो दुर्व्यवहारकर्ता से निर्वाह संबंधी भुगतान प्राप्त कर सकती हैं।
  - यह **सुरक्षित आवास का अधिकार** अर्थात् ससुराल या साझे घर में निवास करने का अधिकार प्रदान करता है, चाहे उसके पास घर का स्वामित्व या उसमें कोई अधिकार हो या न हो। यह अधिकार न्यायालय द्वारा पारित एक निवास संबंधी आदेश द्वारा सुरक्षित किया गया है।
  - न्यायाधीश इस अधिनियम के तहत एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी, पीड़िता से किसी भी प्रकार का संपर्क न करे या उसके पास न जाए।
- **दंड:** इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

VISIONIAS

- **संरक्षण अधिकारी:** यह अधिनियम चिकित्सीय परीक्षण, विधिक सहायता और सुरक्षित आश्रय के लिए महिलाओं की सहायतार्थ संरक्षण अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- **जानकारी देने वाले दायित्व का अपवर्जन:** कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है, या हो रहा है, या होने की संभावना है, तो वह इसके बारे में संबंधित संरक्षण अधिकारी को सूचना प्रदान कर सकता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णय को बरकरार रखा है जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि महिलाओं को **वैवाहिक शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने वाला** घरेलू हिंसा अधिनियम **तलाक के बाद भी लागू होगा।**
- उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम में आवश्यक प्रावधान से "वयस्क पुरुष" शब्द को भी हटा दिया है, ताकि एक महिला दूसरी महिला के विरुद्ध घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कर सके।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत निर्वाह (रखरखाव प्रदान करने) का प्रावधान "स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ" अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। भरण-पोषण संबंधी यह भुगतान पत्नी की आय पर निर्भर नहीं करता है।

अन्य संबंधित कानून

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961:** यह एक आपराधिक कानून है जो दहेज लेने और देने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। इस कानून के तहत यदि कोई दहेज लेता है या देता है, तो उसे छः माह का कारावास हो सकता है या उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A:** यह एक आपराधिक कानून है जो उन पतियों या पतियों के उन रिश्तेदारों पर लागू होता है जो महिलाओं के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा IPC की धारा 498A के अंतर्गत तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधान को पुनः बहाल कर दिया गया है।

1.4.3. कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न

(Harassment of Women at Workplace)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह फैसला दिया कि **महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013** कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ ऐसे दुर्व्यवहारों की रोकथाम व ऐसी शिकायतों के प्रतितोष/निवारण (redressal) हेतु अधिनियमित किया गया था।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

- यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम **कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित** करता है तथा शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।
- इस अधिनियम के तहत सुरक्षा हेतु पात्र **"पीड़ित महिला"** की परिभाषा को अत्यंत व्यापक बनाते हुए इसमें सभी महिलाओं को समाहित किया गया है, भले ही उनकी आयु या रोज़गार की स्थिति कुछ भी हो। इसके तहत संगठित या असंगठित क्षेत्रों व सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के साथ-साथ ग्राहक व उपभोक्ता महिलाओं तथा घरेलू कर्मकार महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
- इस अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न के प्रकारों के रूप में **प्रतिकर (quid pro quo) उत्पीड़न और प्रतिकूल कार्य परिवेश की अवधारणाओं** को भी शामिल किया गया है, यदि ये लैंगिक उत्पीड़न के कृत्य अथवा व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं।
- 10 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में इस प्रयोजनार्थ एक **आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee: ICC)** का गठन करना अनिवार्य है।

VISION IAS

- आंतरिक परिवाद समिति को किसी व्यक्ति को समन जारी करने, दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत कराने हेतु **दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ** प्रदान की गई हैं।
- ऐसे प्रत्येक ICC में गैर-सरकारी संगठनों या संगमों से एक ऐसा सदस्य शामिल होगा, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित हो।
- संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने प्रत्येक जिले में एक **स्थानीय परिवाद समिति** का गठन किया जाना आवश्यक है, जो 10 से कम श्रमिकों वाले संगठनों से शिकायत स्वीकार करेगी या स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत स्वीकार करेगी।
    - एक अतिरिक्त **स्थानीय परिवाद समिति** का गठन प्रखंड स्तर पर भी किया जाएगा।
    - इसमें **मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद अथवा मिथ्या साक्ष्य** के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है।

1.5. महिला के प्रजनन अधिकार से संबंधित विधेयक

(Bills Related to Reproductive Right of Women)

1.5.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020

(Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971** (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) में संशोधन करने के लिए **'गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2020'** को स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्तावित संशोधन की प्रमुख विशेषताएं

- यह विधेयक **20 सप्ताह तक** के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन के लिए **एक पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner: RMP)** की राय और **20-24 सप्ताह तक** के गर्भावस्था के मामले में गर्भ के समापन के लिए **दो पंजीकृत चिकित्सकों** की राय प्राप्त करने को अनिवार्य बनाता है।
- इस विधेयक में दुष्कर्म पीड़िता, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क से पीड़ित और अन्य सुभेद्य महिलाओं (जैसे- दिव्यांग महिलाएं, नाबालिक) सहित विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु **गर्भावस्था की ऊपरी समय-सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया है।**
- इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि **मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई भ्रूण संबंधी शारीरिक विषमताओं के मामले में गर्भ के चिकित्सकीय समापन हेतु गर्भावस्था की ऊपरी समय-सीमा (अर्थात् 24 सप्ताह की सीमा) लागू नहीं होगी।** मेडिकल बोर्ड की संरचना, कार्य और अन्य विवरण के संबंध में नियम निर्धारित किए जाएंगे।
- जिस महिला का गर्भपात हो चुका है, उसके नाम और अन्य जानकारियों को प्रचलित कानून के तहत निर्दिष्ट विशेष व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा।
- यह संशोधन वर्तमान प्रावधान में उपबंधित "केवल विवाहित महिला या उसके पति" के स्थान पर **"किसी भी महिला या उसके साथी"** के लिए गर्भनिरोधक-विफलता की स्थिति में छूट अर्थात् चिकित्सकीय रूप से गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान करता है।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 {Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act, 1971}

- **यह गर्भपात के लिए निम्नलिखित आधार प्रदान करता है:**
    - जहां यह जोखिम हो कि जन्म लेने वाला बच्चा शारीरिक और मानसिक विषमताओं से पीड़ित होगा।
    - जहां गर्भ को जारी रखने से महिला के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो या इससे उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक क्षति होगी।
    - जहां दुष्कर्म या गर्भनिरोध साधनों की विफलता के कारण महिला गर्भवती हो जाती है।
- **यह विभिन्न चरणों में अनुमोदन हेतु निम्नलिखित मापदंड प्रदान करता है:**

- पहले **12 सप्ताह** के दौरान **एक** पंजीकृत चिकित्सक (Registered Medical Practitioner: RMP) के अनुमोदन से गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।
- **12-20 सप्ताह** के मध्य के गर्भ को **2 RMPs** के अनुमोदन से समाप्त किया जा सकता है।
- **20 सप्ताह के पश्चात्,** केवल न्यायालय की स्वीकृति से ही गर्भ को समाप्त किया जा सकता है।

- किसी नाबालिग के गर्भपात हेतु अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।
- केवल "विवाहित महिलाओं" द्वारा ही गर्भपात की मांग करने के कारण के रूप में गर्भनिरोध साधनों की विफलता को वर्णित किया जा सकता है।

1.5.2. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक

{Surrogacy (Regulation) Bill}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **राज्य सभा की प्रवर समिति की अनुशंसाओं** को समाविष्ट करने के उपरांत **सरोगेसी (विनियमन) विधेयक** को स्वीकृति प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- उल्लेखनीय है कि सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था, जो 16वीं लोकसभा के विघटन के पश्चात् व्यपगत हो गया था।
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 को वर्ष 2016 के विधेयक को प्रतिस्थापित करने के लिए लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था, जिसे लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसके उपरांत इसे उच्च सदन (राज्य सभा) को प्रेषित किया गया, जहाँ सदन की प्रवर समिति द्वारा इसकी संवीक्षा की जा रही है।
- जब तक संसद द्वारा इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तब तक भारत में पेड सरोगेसी (paid surrogacy) विधिक रूप से मान्य रहेगी। हालांकि, वर्ष 2015 में विदेशियों के लिए सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया था।

सरोगेसी के बारे में

- सरोगेसी एक ऐसी तकनीक है, जिसके तहत एक महिला, बच्चे की इच्छा रखने वाले किसी दंपति के लिए इस आशय से गर्भ धारण करती है कि जन्म के पश्चात् बच्चे को उस दंपति को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

सरोगेसी के प्रकार

- **परोपकारी सरोगेसी (Altruistic surrogacy):** इसके अंतर्गत दंपति, सरोगेट माता को गर्भावस्था से संबंधित चिकित्सीय और बीमा संबंधी व्ययों के अतिरिक्त कोई अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करते हैं।
- **वाणिज्यिक सरोगेसी (Commercial surrogacy):** इसमें सरोगेट माता को क्षतिपूर्ति (नकद या वस्तु रूप में) प्रदान की जाती है, जो गर्भावस्था से संबद्ध उचित चिकित्सा व्यय से अधिक होता है।
- **गर्भकालीन सरोगेसी (Gestational surrogacy):** यह एक ऐसी तकनीक है, जिसके तहत एक सरोगेट माता अपने गर्भ में भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से इच्छुक दंपति के लिए गर्भधारण करती है और बच्चे का सरोगेट माता से आनुवंशिक रूप से कोई संबंध नहीं होता है।

प्रमुख मुद्दे	**विधेयक के प्रावधान**
परोपकारी सरोगेसी बनाम वाणिज्यिक सरोगेसी	वर्तमान विधेयक परोपकारी सरोगेसी को अनुमति प्रदान करता है और वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है।

VISION IAS

कौन सरोगेट माता बन सकती है?	सरोगेट माता, इच्छुक दंपति की निकट संबंधी (close relatives) होनी चाहिए।
बंध्यता (infertility) शब्द की परिभाषा	विवाह के 5 वर्ष पश्चात् भी किसी जीवित बच्चे (विकार या रोग से पीड़ित बच्चे को छोड़कर) के न होने व बंध्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इच्छुक दंपति सरोगेसी के विकल्प का चयन सकते हैं।
बीमा कवरेज की अवधि	सरोगेट माता के लिए बीमा कवरेज की अवधि केवल 16 माह तक सीमित की गयी है।
भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO), प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) और विदेशियों के लिए सरोगेसी की अनुमति तथा एकल महिलाओं, विधवाओं और तलाक़शुदा महिलाओं का मुद्दा	भारत में सरोगेसी की अनुमति नहीं है।

1.6. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (PCPNDT Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (PCPNDT Act), 1994 के उन प्रावधानों को बरकरार रखा गया है जो प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा मेडिकल रिकॉर्डों के रखरखाव न किये जाने संबंधी कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाते हैं तथा जिनके आधार पर उनके मेडिकल लाइसेंसों को अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।

PCPNDT अधिनियम के बारे में

- PCPNDT अधिनियम, 1994 को अधिनियमित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - गर्भधारण पूर्व या पश्चात् **लिंग चयन तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना;** तथा
  - लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए **प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना।**
- इस अधिनियम के तहत, उन सभी केंद्रों को जिनके पास संभावित रूप से गर्भधारण पूर्व या प्रसव-पूर्व भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने वाला कोई उपकरण है, तो उन्हें समुचित प्राधिकारियों के समक्ष अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
- यह लिंग निर्धारण करने वाली तकनीकों से संबंधित **विज्ञापनों** को प्रतिबंधित करता है।
- यह अधिनियम और नियम उचित रिकॉर्ड के रखरखाव और अनुरक्षण संबंधी व्यापक कार्यवाही की व्यवस्था करता है।
- परिसर को सील करने और गवाहों को उपस्थित कराने सहित विधि के उल्लंघनकर्ताओं की मशीनों, उपकरणों और अभिलेखों की तलाशी, जब्ती और सील करने के संबंध में समुचित प्राधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं।
- लिंग चयन में प्रयोग की जाने वाली नवीन तकनीकों को इसके तहत शामिल करने के लिए वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था।

1.7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन (National Mission for Safety of Women: NMSW) के एक भाग के रूप में, बलात्कार और POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों के निपटान हेतु 1,023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) स्थापित करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान समय में देश में 389 ऐसे जिले हैं जहां "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" (Protection of Children from Sexual Offences: POCSO) के तहत लंबित मामलों की संख्या 100 से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत उक्त प्रत्येक जिले में एक वर्ष हेतु एक स्पेशल POCSO कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
- इस योजना का वित्तपोषण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के आधार पर किया जाएगा, जहां योजना के 60% भाग का योगदान केंद्र सरकार तथा 40% भाग का योगदान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा किया जाता है।

POCSO अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- यह अधिनियम **18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को एक बालक के रूप में** परिभाषित करता है और बालक के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि महत्व प्रदान करता है।
  - भारत **'संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय'** का एक पक्षकार है। अत: भारत सरकार पर बालकों को सभी प्रकार के लैंगिक शोषण व लैंगिक दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करने का विधिक दायित्व भी है।
- यह अधिनियम लैंगिक दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करता है: प्रवेशन (penetrative) और गैर-प्रवेशन (non-penetrative) दुर्व्यवहार, लैंगिक उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, कुछ विशेष परिस्थितियों में लैंगिक दुर्व्यवहार सदृश कृत्य, जैसे- मानसिक रूप से पीड़ित बालक के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार, बालकों के न्यासी अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, यथा- परिवार के सदस्य, पुलिस अधिकारी, शिक्षक या चिकित्सक द्वारा किया गया लैंगिक दुर्व्यवहार आदि।
- यह अधिनियम ऐसे अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम यह निर्दिष्ट करता है कि बाल यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को उसके दर्ज किए जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निपटाया जाना चाहिए।
- यह अधिनियम शिकायत किए जाने की स्थिति में शीघ्रताशीघ्र बालक को **राहत और पुनर्वास** की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बच्चे के दीर्घकालिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए, शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस द्वारा बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट करना आवश्यक है।
- यह **लैंगिक रूप से तटस्थ कानून** है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और लड़कों, दोनों के विरुद्ध किए गए यौन अपराधों का संज्ञान लिया जाता है।
- यह बच्चों के बीच या एक बच्चे एवं एक वयस्क के बीच सहमति आधारित यौन कृत्यों को मान्यता नहीं देता है। इसके अंतर्गत किसी बच्चे के साथ यौन आचरण में शामिल होने वाले व्यक्ति (दूसरे बच्चे सहित) पर कार्यवाही का प्रावधान है, भले ही यह सहमति से किया गया हो।
- हाल ही में, संसद ने **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019** पारित किया है, जिसमे बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के लिए **मृत्युदंड** की सजा का प्रावधान किया गया है।

विभिन्न अधिनियमों के तहत बालकों की परिभाषा

- **POCSO अधिनियम:** 18 वर्ष से कम आयु
- **बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986:** 14 वर्ष से कम आयु
- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015:** 16 वर्ष से कम आयु
- **कारखाना अधिनियम, 1948:** 15 वर्ष से कम आयु

सहमति प्रदान करने की आयु (age of consent) पर वैश्विक कानून

- कई देशों में सहमति प्रदान करने की आयु 16 वर्ष या उससे कम है।
- अधिकांश अमेरिकी राज्य, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस इस श्रेणी में शामिल हैं।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

बाल कल्याण सूचकांक (Child Well Being Index)

- हाल ही में, वर्ल्ड विजन इंडिया (एक गैर-सरकारी संगठन) तथा IFMR LEAD (भारत में एक शोध संस्थान) द्वारा **बाल कल्याण सूचकांक** (Child Well Being Index) जारी किया गया है।
- इसके तहत स्कोर/अंको की गणना 3 आयामों (स्वस्थ व्यक्तिगत विकास, सकारात्मक संबंधों और सुरक्षात्मक संदर्भों) में विभाजित 24 संकेतकों के उपयोग के आधार पर की जाती है।
- केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान; जबकि मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश निचले स्थान पर हैं।
- संघ शासित प्रदेशों में, पुडुचेरी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।

समेकित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme: ICPS)

- यह एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** है, जिसका उद्देश्य सरकार व नागरिक समाज की भागीदारी के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बालकों और साथ ही अन्य सुभेद्य बालकों के लिए एक सुरक्षात्मक परिवेश का सृजन करना है।
- इसके अंतर्गत बालकों की अभावग्रस्तता के निवारणार्थ जोखिम का सामना कर रहे परिवारों और बालकों की पहचान करने हेतु राज्य के उत्तरदायित्व में प्रत्येक जिले में राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा **जिला बाल संरक्षण समितियों** (DCPS) के गठन का प्रावधान किया गया है।
- इसका उद्देश्य बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए देश में प्रबंधन सूचना प्रणाली व बाल ट्रैकिंग तंत्र सहित **बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटाबेस और नॉलेज सेंटर का निर्माण करना है।**
- यह किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करती है।

1.8. भारत में दत्तक ग्रहण

(Adoption in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA) द्वारा विगत पांच वर्षों में दत्तक-ग्रहण से संबंधित व्यवधान (Disruption) के 246 और इसके समापन (Dissolution) के 10 मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत में दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया

- दत्तक-ग्रहण वस्तुतः एक व्यक्ति या दंपति से दूसरे व्यक्ति या दंपति को समस्त अभिभावकीय अधिकारों का स्थायी विधिक हस्तांतरण है।
  - दत्तक माता-पिता के अधिकार और जिम्मेदारियां जैविक माता-पिता के समान ही होती हैं तथा दत्तक बच्चों को जैविक बच्चों के समान भावनात्मक, सामाजिक, कानूनी और नातेदारी लाभ प्राप्त होते हैं।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015** और इसके उत्तरवर्ती **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016** के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दत्तक-ग्रहण विनियम, 2017 भारत में दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया को शासित करता है।
- ये प्रावधान **"हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन, 1993"** के अनुरूप हैं। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने इसकी अभिपुष्टि (ratify) की थी।

व्यवधान (Disruption)

- व्यवधान का अर्थ है- दत्तक-ग्रहण के पश्चात्, लेकिन दत्तक-ग्रहण की विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व, दत्तक परिवार के साथ बच्चे का समायोजन न हो पाने के कारण **दत्तक परिवार से बच्चे का पृथक होना।**
  - ऐसे व्यवधान की स्थिति में राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी माता-पिता एवं बच्चे के साथ परामर्श सत्र आयोजित करती

हैं। यह एजेंसी अपने निष्कर्षों के आधार पर, बच्चे या दत्तक माता-पिता को अस्थायी रूप से सूची से हटा देती है, जब तक कि वे अपनी तैयारियों को फिर से सिद्ध नहीं कर देते हैं।

समापन (Dissolution)

- समापन का अर्थ है- न्यायालय से दत्तक-ग्रहण की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् दत्तक परिवार के साथ बच्चे का तालमेल न होने के कारण **विधिक रूप से दत्तक-ग्रहण का निरसन।**

हेग एडॉप्शन कन्वेंशन

- बाल संरक्षण एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर वर्ष 1993 का हेग कन्वेंशन (अथवा हेग एडॉप्शन कन्वेंशन) वस्तुतः बच्चों और उनके परिवारों को विदेशों में अवैध, अस्थायी, समयपूर्व या बिना तैयारी के दत्तक ग्रहण के जोखिमों से संरक्षण प्रदान करता है।
- इस कन्वेंशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय केंद्रीय प्राधिकरणों की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और यह बच्चों के सर्वोत्तम हित को बनाए रखने के लिए **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** (अनुच्छेद-21) को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
- यह बच्चों के अपहरण, बिक्री या दुर्व्यापार को रोकने का भी प्रयास करता है।

भारत में बच्चों के दत्तक-ग्रहण को शासित करने वाले मौलिक सिद्धांत

- दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में बच्चों के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होंगे।
- जहाँ तक संभव हो, बच्चों के दत्तक-ग्रहण की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को और बच्चे के अपने सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण को वरीयता प्रदान की जाएगी।
- सभी दत्तक-ग्रहण को **"बालक दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली"** (Child Adoption Resource Information and Guidance System: CARINGS) पर पंजीकृत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।

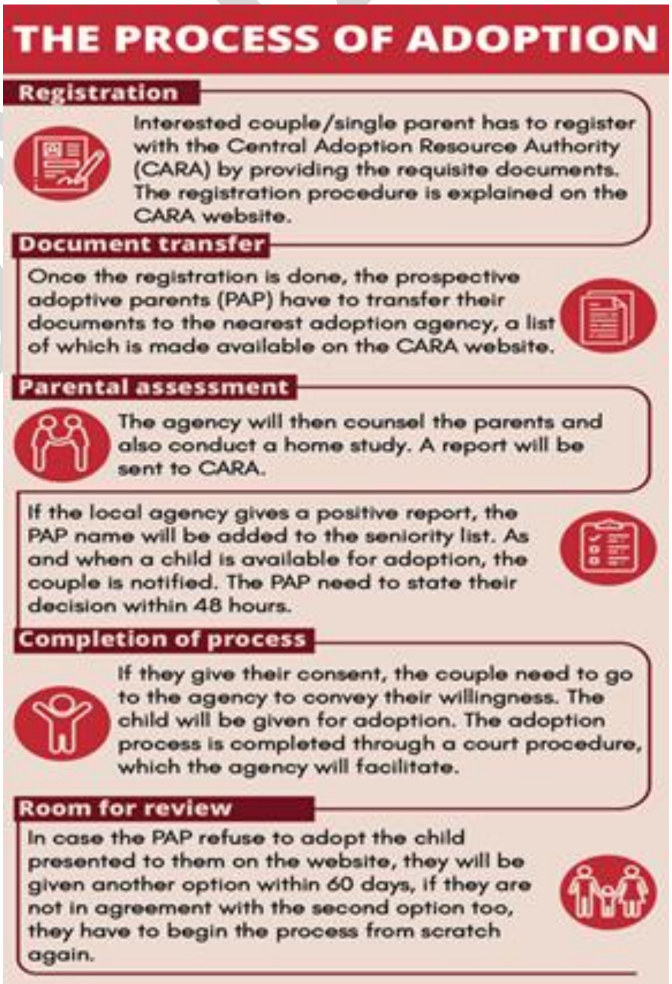

संभावित दत्तकग्राही माता-पिता (Prospective Adoptive Parents: PAPs) के लिए पात्रता मानदंड

- संभावित दत्तकग्राही माता-पिता को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से दृढ़ व आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए और उनके जीवन के समक्ष किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न करने वाली चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिए।
- कोई भी संभावित दत्तकग्राही माता-पिता, अपनी वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना और भले ही उसका अपना जैविक पुत्र या पुत्री हो या न हो, वह निम्नलिखित के अधीन बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकता है:
    - विवाहित दंपति के संदर्भ में, दत्तक ग्रहण हेतु पति-पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी;
    - एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकती है;
    - एकल पुरुष बालिका को दत्तक ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं है;
- एक ऐसे दंपति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जा सकती, जब तक स्थायी वैवाहिक संबंध के कम से कम 2 वर्ष पूर्ण न हो जाए।

VISION IAS

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय (किशोर न्याय अधिनियम के तहत) है।
- यह भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश के भीतर एवं देश के बाहर (inter-country) दत्तक ग्रहण की निगरानी एवं उसके विनियमन को अनिवार्य घोषित करता है।
- **इंटर-कंट्री अडॉप्शन, 1993** में हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रकिया से निपटने के लिए CARA को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामांकित किया गया है।
- CARA मुख्य रूप से अपने संबंधित / मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित (surrendered) बच्चों के दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है।

बालक दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (CARINGS)

- यह बच्चों के **दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने** के लिए एक ई-गवर्नेंस उपाय है।
- यह दत्तक ग्रहण योग्य बच्चों और संभावित दत्तकग्राही माता-पिता (PAPs) का एक केंद्रीकृत डेटा बैंक है।

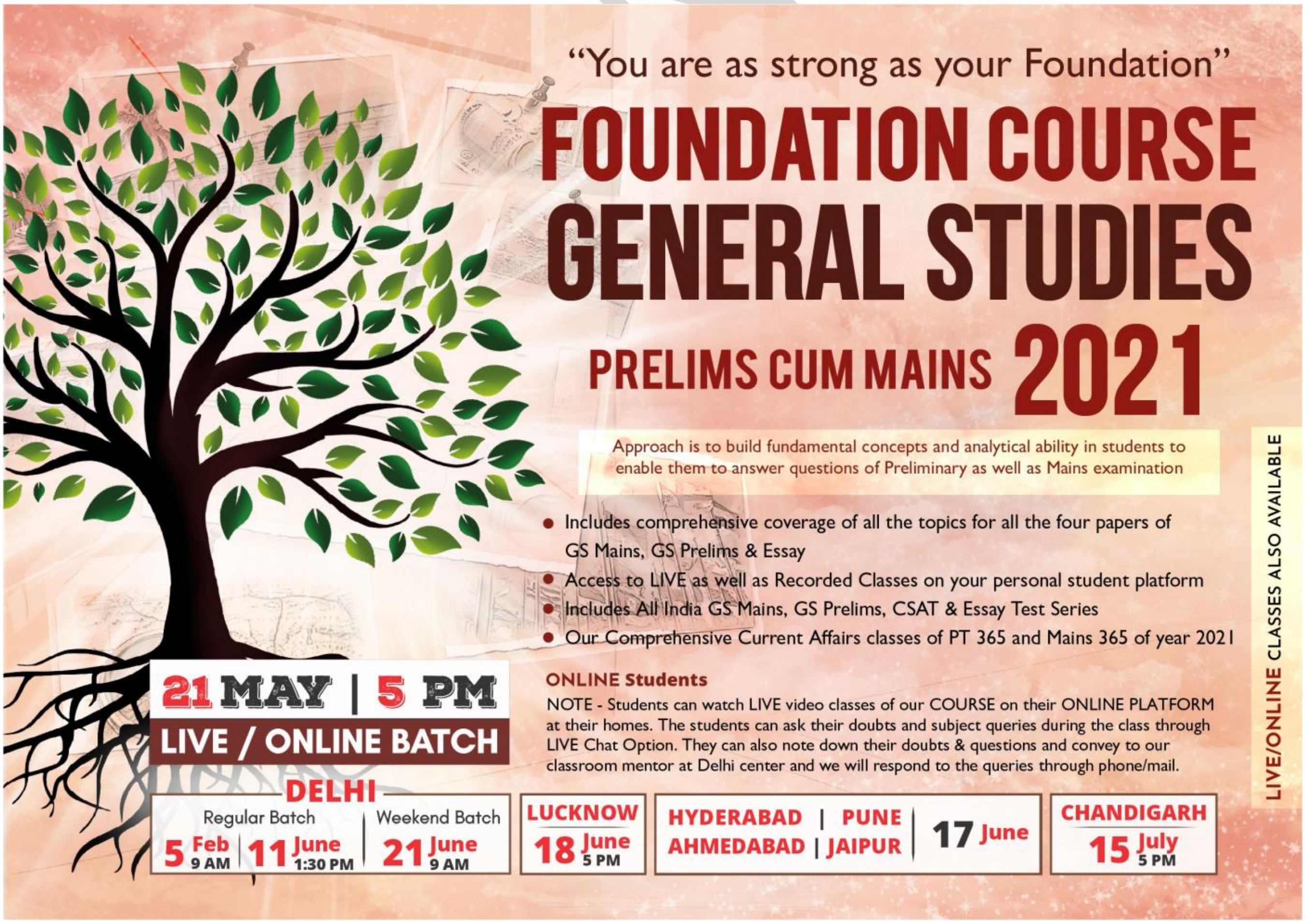

2. अन्य सुभेद्य समूह

(Other Vulnerable Sections)

2.1. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

{Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक** पारित किया गया है।

NALSA बनाम भारत संघ वाद (2014): उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई रूपरेखा

- लिंग चयन का अधिकार, जीवन के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का भाग है।
- सभी आधिकारिक दस्तावेजों/प्रपत्रों में "तृतीय लिंग" से संबंधित खंड को सम्मिलित किया जाएगा।
- तीन लैंगिक विकल्पों में से एक का चयन, केवल व्यक्ति के स्वनिर्धारण पर निर्भर करेगा।
- इसमें **OBC कोटे के भीतर 'हाशिए पर स्थित' इस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान** किया गया है।
- यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर **इस समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक आयोग स्थापित** किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **उभयलिंगी व्यक्ति की परिभाषा:** यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है।
    - इसमें उभयलिंगी-पुरुष और उभलिंगी-महिलाएं, मध्यलिंगी भिन्नताओं वाले व्यक्ति, समलैंगिक व्यक्ति तथा किन्नर और हिजड़ा जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं।
- **भेदभाव का निषेध:** यह अधिनियम उभयलिंगी व्यक्ति के विरूद्ध निम्नलिखित 8 प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है: शिक्षा; रोजगार; स्वास्थ्य सेवा; सार्वजनिक वस्तुओं और सुविधाओं तक पहुंच के संबंध में सेवा से मना करना या अनुचित व्यवहार; संचरण का अधिकार; निवास करने, किराए पर रहने या अन्यथा किसी संपत्ति को अधिभोग में लेने संबंधी अधिकार; सार्वजनिक या निजी पद धारण करने का अवसर; और सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों, जिनकी अभिरक्षा में कोई उभयलिंगी व्यक्ति है, में पहुँच का अधिकार।
- **पहचान की मान्यता:** यह **स्व-अनुभूत लिंग पहचान का अधिकार** प्रदान करता है। उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में पहचान का प्रमाण-पत्र **जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा जारी किया जा सकता है। **लिंग पुन: नियतन शल्यक्रिया (Sex Reassignment Surgery: SRS)** के बाद संशोधित प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है।
- **अपराध और दंड:** यह उभयलिंगी व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधों को चिन्हित करता है तथा इन अपराधों के लिए छह महीने से दो वर्ष तक कारावास की सजा अथवा अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है:
    - बलात या बंधुआ श्रम (सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा को छोड़कर);
    - सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित करना;
    - घर और गाँव से निकालना; तथा
    - शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक उत्पीड़न।
- **राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद** की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकार व उभयलिंगी समुदाय के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। यह परिषद सरकार को इस समुदाय के लिए नीति निर्माण के विषय में परामर्श देगी; और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी; शिकायतों का निपटान करेगी आदि।

VISION IAS

- **सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय:** सरकार उनके बचाव और पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी तथा उभयलिंगी संवेदनशील योजनाओं का निर्माण करेगी और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।
- **स्वास्थ्य सेवा:** सरकार एक **पृथक HIV निगरानी केंद्र** और **SRS** सहित उभयलिंगी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी। सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजना प्रदान करेगी।

इस विधेयक से संबंधित मुद्दे

- **आत्म-पहचान के प्रमाणीकरण का कोई अधिकार नहीं:** इस अधिनियम में जिला अनुवीक्षण समिति (District Screening Committee) का प्रावधान सम्मिलित नहीं है और यह प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान करता है।
- **कोई समीक्षा तंत्र नहीं:** यदि उभयलिंगी व्यक्ति को पहचान प्रमाण-पत्र से वंचित किया जाता है, तो यह अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने या समीक्षा करने का कोई तंत्र नहीं प्रदान करता है।
- NALSA निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अधिदेश के बावजूद, यह रोजगार या शिक्षा में **सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं करता है।**

राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद (National Council for Transgender persons: NCT)

NCT में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (अध्यक्ष);
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष);
- सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव;
- स्वास्थ्य, गृह और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों से एक प्रतिनिधि।

अन्य सदस्यों में सम्मिलित हैं:

- NITI आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि;
- **राज्य सरकारों** को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;
- **उभयलिंगी समुदाय के पांच सदस्य;** और
- **गैर-सरकारी संगठनों से पांच विशेषज्ञ।**

2.2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(The Rights of Persons with Disability Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपूरक के तौर पर दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया था।

भारत में, **दिव्यांगजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.1%** है। जिसमे दिव्यांग पुरुषों की संख्या 56% है और दिव्यांग महिलाओं की संख्या 44% है।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- इसके द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया गया है।
- यह अधिनियम **यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी** के सिद्धांतों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए अनुकूल कार्यस्थल की स्थापना को प्रोत्साहित करना है।
- इसके द्वारा दिव्यांगता की मौजूदा **7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21** किया गया है और केंद्र सरकार को इस सूची में दिव्यांगता के अन्य प्रकारों को समाविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है।

VISION IAS

- “संदर्भित दिव्यांगता” (benchmark disabilities) को अधिनियम में वर्णित कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता सत्यापित करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
- संदर्भित दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा, सरकारी रोज़गार एवं भूमि के आवंटन में **आरक्षण**, निर्धनता उन्मूलन योजना के लाभार्थी आदि जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किए गए हैं।
- **6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग** के संदर्भित दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को **नि:शुल्क शिक्षा** का अधिकार प्राप्त होगा।
- संदर्भित दिव्यांगता वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों में आरक्षण **3% से बढ़ाकर 4%** कर दिया गया है।
- वर्तमान में **निजी प्रतिष्ठानों** को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। यद्यपि निजी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से दिव्यांगजनों (PwD) को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि इस अधिनियम के तहत निजी प्रतिष्ठानों पर कुछ दायित्व आरोपित किए गए हैं।
- केंद्र और राज्य स्तर पर नीति निर्माण के सर्वोच्च निकाय के रूप में केंद्र एवं राज्य **दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड** स्थापित किए जाएंगे।
- दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया जाएगा।
- प्रधान मंत्री **सुगम्य भारत अभियान** को सुदृढ़ करने हेतु, एक निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक भवनों (सरकारी और निजी दोनों) में पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- इसमें दिव्यांगजनों के प्रति किए जाने वाले अपराधों के लिए और नए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।
- PWDs के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निवारण हेतु प्रत्येक जिले में **विशेष न्यायालय** स्थापित किए जाएंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी

- यह वर्ष 2008 में प्रभावी हुआ। यह **21वीं सदी की प्रथम व्यापक मानवाधिकार संधि और दिव्यांगजनों के अधिकारों के व्यापक संरक्षण के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रथम समझौता है।**
- इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में अग्रलिखित शामिल हैं- अंतर्निहित गरिमा हेतु सम्मान, अविभेद (non-discrimination), समाज में प्रभावी भागीदारी और समावेश, अवसर की समानता, पहुंच, पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य समानता तथा दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का सम्मान।
- हालांकि, कन्वेंशन में दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें स्वीकृत किया गया है कि “दिव्यांगता” की अवधारणा निश्चित नहीं है और यह एक समाज से दूसरे समाज में मौजूदा परिवेश के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
- **भारत द्वारा इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की गई है।**

सुगम्य भारत अभियान

- यह दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुँच क्षमता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है।
- इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग** (DEPwD) द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस अभियान के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं, यथा- सुगम्य परिवेश का सृजन, परिवहन प्रणाली सुगम्यता और सूचना एवं संचार ईको सिस्टम सुगम्यता।

दिव्यांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश (National Disaster Management Guidelines on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DiDRR)

- हाल ही में, गृह मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता-समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश (DiDRR) जारी किए गए।
- DiDRR जोखिम के शमन और न्यूनीकरण के माध्यम से प्रभावित समुदायों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है।

- ये दिशा-निर्देश स्थापित और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों एवं पद्धतियों के आधार पर DiDRR के कार्यान्वयन तंत्र का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक निर्देश प्रदान करते हैं ताकि सभी हितधारक प्रक्रिया को कार्यान्वित कर सकें व आगे बढ़ा सकें।
- **इनमें से कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:**
  - केंद्र को डेटा और संसाधन मानचित्रण के लिए दिव्यांगजनों की जनगणना व सर्वेक्षण आयोजित करना चाहिए।
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में दिव्यांगजनों और उनके प्रतिनिधि संगठनों से संबंधित मुद्दों को शामिल करना, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWDA), 2016 में निर्धारित किए गए हैं।
  - टिकाऊ चिकित्सा उपकरणों, जीवन रक्षक उपकरणों आदि के राष्ट्रीय भंडारण जैसी तैयारियों और शमन रणनीतियों को अपनाना।
  - बौद्धिक रूप से दिव्यांगजनों को सूचित करने के लिए **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तंत्र** की स्थापना करना।

2.3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक

{Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोकसभा में, "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007" में संशोधन करने हेतु इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007

- **इस अधिनियम में बच्चों के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री सम्मिलित हैं।**
  - **वर्तमान विधेयक में बच्चों की इस परिभाषा को विस्तृत किया गया है,** जिसमें सौतेले बच्चों, दत्तक बच्चों, दामाद और अल्पव्यस्क बच्चों के वैध संरक्षकों को भी सम्मिलित किया गया है।
- **पैरेंट्स:** पैरेंट्स का तात्पर्य माता या पिता से है, भले ही वें जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता हैं।
  - वर्तमान विधेयक में इसके अंतर्गत सास-ससुर और मातामह-पितामही को भी सम्मिलित किया गया है।
- **नातेदार** का तात्पर्य नि:संतान वरिष्ठ नागरिक के किसी वैध उत्तराधिकारी से है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके अधिकार में होगी या विरासत में प्राप्त करेगा।
  - हालांकि, इस विधेयक में अव्यस्क बालकों के विधिक संरक्षक को शामिल किया गया है।
  - यहाँ **"वरिष्ठ नागरिक"** से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है, जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
- **भरणपोषण (Maintenance):** इसमें आहार, वस्त्र, आवास, चिकित्सा सेवा और उपचार की उपलब्धता सम्मिलित है, ताकि माता-पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें।
  - गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने हेतु माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, वस्त्र, आवास, संरक्षा और सुरक्षा, चिकित्सीय सेवा, स्वास्थ्य देखभाल और उपचार के संबंध में इस विधेयक में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।
- **भरण-पोषण आदेश:** यह विधेयक भरण-पोषण भत्ते की ऊपरी सीमा को समाप्त करता है, जो वर्तमान अधिनियम में 10,000 रुपये (अधिकतम) है।
- **भरणपोषण अधिकरण का गठन:** भरणपोषण के आदेश के न्यायनिर्णयन और उसका विनिश्चय करने के लिए राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर प्रत्येक सब-डिवीज़न में एक या अधिक अधिकरणों का गठन करेगी।
  - विधेयक में भरणपोषण के आदेश के स्थान पर 'दर्ज किए गए आवेदन' शब्द को शामिल किया गया है।
- **भरणपोषण की राशि का जमा किया जाना:** भरणपोषण आदेश के तहत ऐसा बालक या नातेदार, जिससे ऐसे आदेश के निबंधनों के अनुसार किसी राशि का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर आदेशित संपूर्ण राशि अधिकरण के निदेश के अधीन विहित रीति के तहत जमा करेगा।

VISION IAS

- विधेयक में दिनों की संख्या को कम कर **15 दिन** कर दिया गया है।
- **अपील:** कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता, किसी मामले में अधिकरण के निर्णयों से संतुष्ट न होने की स्थिति में, निर्णय की तिथि से **60 दिनों** के भीतर, अपीलीय अधिकरण में अपील कर सकते हैं:
  - यह विधेयक बच्चों और संबंधियों को भी अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान करता है।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाएं

- **'वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम' (Integrated Programme for Older Persons: IPOP):** वृद्धजनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु।
- **'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' (RVY):** इसके अंतर्गत दृष्टि दोष, श्रवण दोष आदि जैसी आयु-संबंधित निःशक्तताओं से पीड़ित निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (BPL) सामाजिक वर्गों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की जाती है और उन्हें सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- **'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना' (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme: IGNOAPS):** इसके अंतर्गत BPL वर्ग से संबंधित 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY):** अभिदान राशि (subscription amount) के आधार पर व गारंटीकृत न्यूनतम प्रतिफल के आधार पर न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए।
- **प्रधान मंत्री वय वंदना योजना:** इसके अंतर्गत वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (VPBY) का एक सरलीकृत संस्करण है और इसका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।
- **वयोश्रेष्ठ सम्मान:** राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रख्यात यह सम्मान वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उनके योगदान के प्रतिफल में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है।

2.4. हाथ से मैला उठाने की प्रथा

(Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने राज्यसभा को सूचित किया कि वर्ष 2016 से नवंबर 2019 के मध्य देश में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय 282 लोगों की मृत्यु हो गई।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा: संबंधित संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान

- **सैनिटेशन (स्वच्छता) राज्य सूची का एक विषय है।**
- भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है (अनुच्छेद 17) और जाति आधारित भेदभाव का निषेध करता है (अनुच्छेद 15)।
- संविधान के अंतर्गत मानव गरिमा एक अपरिहार्य अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूल अधिकार का भाग है।
- यह एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त अधिकार है, जो अनुच्छेद 1, 22 और 23 के माध्यम से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द्वारा समर्थित है।
- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है और यह **'मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना'** (SRMS) का कार्यान्वयन करता है।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

- **इसका प्रयोजन** अस्वच्छ शौचालय को **समाप्त** करना तथा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण और उनका पुनर्वास करना है।

- यह अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजर्स के तौर पर किसी व्यक्ति के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित करता है तथा सीवरों व सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण हाथ से सफाई का निषेध करता है।
- इस प्रकार यह अधिनियम शुष्क शौचालयों और मल-मूत्र की सभी प्रकार की मैनुअल स्कैवेंजिंग के साथ-साथ सुरक्षात्मक गियर के बिना गटर, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई को भी प्रतिबंधित करता है।
- इस अधिनियम के धारा 9 के अंतर्गत, इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक कारावास की सजा या 2 लाख तक का अर्थदंड या दोनों हो सकता है। उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर कारावास की सजा 5 वर्ष और अर्थदंड 5 लाख रूपये या दोनों हो सकते हैं।
- इस अधिनियम में चिन्हित किए गए मैनुअल सफाई कर्मचारियों के **पुनर्वास** के लिए निम्नलिखित प्रावधान भी हैं:
  - प्रारंभ में एक बार नकद सहायता;
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति;
  - आवासीय भूखंड का आवंटन और भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता;
  - कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह के भुगतान के साथ आजीविका कौशल में प्रशिक्षण; तथा
  - परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रियायती ऋण के साथ सब्सिडी हेतु प्रावधान।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (National Commission for Safai Karamcharis: NCSK)

- NCSK का गठन वर्ष 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत एक **सांविधिक निकाय** के रूप में किया गया था।
  - हालांकि, वर्ष 2004 से यह आयोग **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर-सांविधिक निकाय** के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में सरकारी संकल्पों के माध्यम से इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
  - इसमें एक अध्यक्ष (केंद्रीय राज्य मंत्री के समान पद और दर्जा) और अन्य सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ एक महिला सदस्य (भारत सरकार के सचिव के समान पद और दर्जा) तथा सचिव (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समान पद) सहित चार सदस्य सम्मिलित हैं।
- **"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013"** के अनुसार, इस आयोग के अधिदेश और कार्यक्षेत्र को निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करने हेतु विस्तारित किया गया है:
  - इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
  - इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करना और आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक अनुशंसाएं करना।
  - केंद्र और राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए परामर्श प्रदान करना।
  - इस अधिनियम को कार्यान्वित न करने से संबंधित मामले में स्वत: संज्ञान के आधार पर कार्यवाही करना।

अन्य संबंधित तथ्य

- ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) द्वारा वर्ष 2019 में **'बैंडिकूट'** नामक ड्रेनेज-सफाई रोबोट को नियोजित किया गया है, जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।

2.5. विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध घुमंतू समुदाय

(Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के क्रियान्वयन की स्थिति में मध्य प्रदेश की विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों में अपनी नागरिकता के समापन की आशंका उत्पन्न हुई है। ये जनजातियाँ राज्य की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 7-8% हैं।

VISION IAS

विवरण

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, यदि स्थानीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता था कि एक गिरोह या जनजाति "गैर-जमानती अपराधों में संलग्न" है, तो उन्हें **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के तहत आपराधिक जनजाति के रूप में पंजीकृत किया जाता था।
- इसके बाद **आपराधिक जनजाति अधिनियम (Criminal Tribes Act: CTA), 1924** प्रभाव में आया। इस अधिनियम के तहत, स्थानीय सरकार सुधार-गृह स्थापित कर सकती थी और आपराधिक जनजाति के बच्चों को उनके माता-पिता और अभिभावकों से अलग कर उन्हें इन सुधार गृहों में रखा जाता था।
- CTA के तहत **घुमंतू और विमुक्त जनजाति** दोनों को ही **आपराधिक जनजातियां** माना गया था। अधिकांश विमुक्त जनजातियां अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं।
- **अनंतशयनम् अय्यंगर समिति** (जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में CTA के संचालन के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई) की रिपोर्ट के पश्चात्, इस अधिनियम को भारत सरकार के 'आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1952' (Habitual Offenders Act, 1952) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा वर्ष 1952 में ही पूर्ववर्ती "आपराधिक जनजातियों" को विमुक्त (denotified) घोषित किया गया था।
- वर्ष 2002 में, **न्यायमूर्ति वेंकटचलैया आयोग** द्वारा विमुक्त और घुमंतू जनजातियों (DNTs) के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की अनुशंसा की गई। साथ ही इसके द्वारा DNTs की आवश्यकताओं और शिकायतों के निवारण हेतु एक **विशेष आयोग** के गठन की भी अनुशंसा की गई।
- इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 में इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने हेतु **बालकृष्ण सिडके रेनके** की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजाति आयोग** का गठन किया गया था।
- वर्ष 2015 में **भिकू रामजी इदाते** की अध्यक्षता में एक अन्य राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। इसने वर्ष 2018 में **"विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजाति की आवाज"** नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इदाते आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्थायी **विकास और कल्याण बोर्ड** को मंजूरी दी है
- **DNTs के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियां:** सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाई, घटती जनसंख्या और जनगणना संबंधी आंकड़ों का अभाव, वृहद स्तर पर बहिष्कार आदि।

2.6. वन धन विकास केंद्र

(Van Dhan Vikas Kendra)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा वन धन विकास केंद्रों के विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

वन धन योजना (वन धन विकास कार्यक्रम)

- यह मुख्यतया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से गौण वनोत्पादों के विपणन हेतु तंत्र और गौण वनोत्पादों के मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है।
- यह वन संपदा अर्थात् वन धन के उपयोग द्वारा जनजातियों हेतु आजीविका सृजन के लक्ष्यीकरण की एक पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकों व संचार प्रौद्योगिकियों के समावेश के द्वारा जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान एवं कौशलों को प्रत्येक स्तर पर उन्नत करने तथा एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करने हेतु इन क्षमताओं का लाभ उठाना है।

VISION IAS

- वन धन योजना के अंतर्गत ट्राइफेड (TRIFED) गौण वनोत्पाद आधारित एक बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। यह 10 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का केंद्र होगा, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में गौण वनोत्पाद एकत्रित करने वाले 30 आदिवासी शामिल होंगे।
- प्रत्येक केंद्र स्थानीय रूप से उपलब्ध गौण वनोत्पादों और कौशल आधारित हस्तशिल्पों हेतु खरीद सह मूल्य संवर्धन के लिए **साझा सुविधा केंद्रों** के रूप में कार्य करेंगे तथा तकनीकी समर्थन ट्राइफेड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना केंद्र स्तर पर नोडल विभाग के रूप में **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा तथा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रूप में ट्राइफेड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
- राज्य स्तर पर, योजना के कार्यान्वयन में गौण वनोत्पादों के लिए राज्य नोडल एजेंसी और ज़मीनी स्तर पर ज़िलाधीश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- यह भी प्रस्ताव किया गया है कि वन धन SHG के प्रतिनिधियों से गठित प्रबंधन समिति स्थानीय स्तर पर केंद्रों का प्रबंधन करेगी।
- इसका लक्ष्य अन्य केंद्रीय/राज्य स्तरीय विभागों/अभिकरणों/संस्थाओं की विविध योजनाओं व पहलों का अभिसरण करना है।
- इसके अतिरिक्त बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्रकों के साथ भागीदारी प्रतिमानों का अन्वेषण करना होगा ताकि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधियों के तहत उनकी सक्रिय सहभागिता व वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके।

ट्राइफेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India: TRIFED) के विषय में

- भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करने वाला राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च निकाय है।
- ट्राइफेड का परम उद्देश्य उन जनजातीय उत्पादों, जिन पर जनजातियों का जीवन अत्यधिक निर्भर होता है, के विपणन विकास के माध्यम से देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।

गौण वनोत्पाद (Minor Forest Produce: MFP)

- MFP वस्तुतः गैर-काष्ठ वनोत्पाद होते हैं। ये वनों या इनके चतुर्दिक निवास करने वाले जनजातीय समुदायों हेतु आजीविका के प्रमुख स्रोत होते हैं तथा उन्हें पोषण, चिकित्सीय आवश्यकता तथा नकद आय प्रदान करते हैं।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से गौण वनोत्पादों के विपणन हेतु तंत्र तथा MFP के लिए मूल्य श्रृंखला की विकास योजना** जनजातियों द्वारा एकत्रित किए गए MFPs को उचित मूल्य प्रदान कर उनकी आजीविका में सुधार हेतु एक सामाजिक सुरक्षा पाश के रूप में अभिकल्पित है।
    - **जनजातीय कार्य मंत्रालय** इस योजना के कार्यान्वयन व निगरानी हेतु **नोडल मंत्रालय** है। इस हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड के तकनीकी सहयोग के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
    - न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MFP की खरीद का उत्तरदायित्व राज्य नामित अभिकरणों में निहित है।
    - यह योजना **प्राथमिक मूल्य संवर्धन** को समर्थन प्रदान करती है तथा शीत भंडारण व माल गोदामों आदि हेतु आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना का प्रावधान करती है।
    - यह योजना **सभी राज्यों में प्रवर्तनीय** है।

2.7. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

(Eklavya Model Residential School)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2022 तक आदिवासी क्षेत्रों में 400 से अधिक **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय** स्थापित किए जाएंगे।

VISION IAS

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS)

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में EMRS की स्थापना की जाएगी।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान प्रदान कर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में EMRS की स्थापना की जाती है।
- प्रत्येक EMRS का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ शिक्षा से संबद्ध प्रतिष्ठित स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (NGOs) शामिल होते हैं।

EMRS के उद्देश्य

- दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
- उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना।
- ऐसी अवसंरचना का निर्माण करना जो छात्र जीवन की शैक्षिक, भौतिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

3. शिक्षा

(Education)

3.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा

(Draft National Education Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के मसौदे** पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

पृष्ठभूमि

- भारत में, वर्ष 1968 और 1986 (वर्ष 1992 में संशोधित) में दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां निर्मित की गई थीं।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019** का विज़न भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली के निर्माण पर आधारित है, जो सभी को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करके, हमारे राष्ट्र को एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान आधारित समाज में रुपांतरित करने में प्रत्यक्ष योगदान करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और क्रियान्वयन कार्यक्रम (Program of Action), 1992

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और क्रियान्वयन कार्यक्रम, 1992 का मुख्य उद्देश्य **शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित** करना था। जिसका आशय यह है कि सभी छात्र चाहे उनकी जाति, पंथ, लिंग और धर्म कुछ भी हो समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के उद्देश्य

- **प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में:**
    - सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन;
    - 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण; और
    - सभी बच्चों को अधिगम के आवश्यक स्तर को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में दीर्घकालिक सुधार करना।
- **माध्यमिक शिक्षा:** छात्रों को आवश्यक कंप्यूटर कौशल से युक्त करने हेतु माध्यमिक स्तर के अनेक संस्थानों में कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **उच्च शिक्षा:** लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करना।

एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता

- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की परिवर्तित माँगें:** यह नवीन कौशल प्राप्त करने हेतु नियमित रुप से शिक्षार्थियों द्वारा 'सीखने' और आजीवन शिक्षार्थी बने रहने की आवश्यकता पर बल देती है।
- **नए ज्ञान की उत्पत्ति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनका अनुप्रयोग:** वर्तमान समय में नए ज्ञान की उत्पत्ति और विशेष रुप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग के मध्य समय अंतराल काफी कम हो गया है।
- **भारत के जनसांख्यिकी लाभांश की अल्पावधि:** इस लाभांश के लगभग 20 वर्षों से केवल कुछ अधिक समय तक ही बने रहने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।
- **वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण:** SDG4, वर्ष 2030 तक "समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करने" का प्रयास करता है।

VISION IAS

मसौदा नीति की मुख्य अनुशंसाएँ

क्षेत्र	अनुशंसा
विद्यालय शिक्षा (School Education)	
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE)	• **नए पाठ्यक्रम की रुपरेखा तैयार करना:** यह कार्य NCERT द्वारा किया जाना है। इस नवीन पाठ्यक्रम के दो भाग होंगे, एक 0-3 वर्ष के आयु वर्ग के लिए और दूसरा 3-8 वर्ष के आयु वर्ग के लिए। • **सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण:** आंगनवाड़ियों और प्री-स्कूल का विस्तार करना तथा जहाँ तक संभव हो उन्हें एक ही स्थान पर स्थापित करना। राज्य सरकारें **प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए पेशेवर रुप से अर्ह शिक्षकों का कैडर तैयार** करेंगी। • **सीखने के अनुकूल परिवेश का निर्माण करना:** प्रत्येक राज्य में संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों, कलाकारों और वास्तुकारों की एक समिति द्वारा ऐसे परिवेश का निर्माण करना। • ECCE को शामिल करने के लिए **RTE अधिनियम का विस्तार।**
आधारभूत साक्षरता एवं गणना क्षमता (Foundational Literacy and Numeracy)	• गणित अभ्यास और पढ़ने हेतु प्रतिदिन समर्पित घंटों, साप्ताहिक कार्यक्रमों और विशेष सभाओं के माध्यम से **ध्यान केंद्रण में वृद्धि करना।** • पीछे छूट गए विद्यार्थियों की औपचारिक रुप से सहायता करने के लिए स्थानीय समुदायों के प्रशिक्षकों को शामिल करना और इस हेतु **उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम शुरु करना।** • **नेशनल ट्यूटर्स प्रोग्राम-** जहां प्रत्येक स्कूल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र सामान्यतया अपने कनिष्ठ साथियों के लिए स्कूल समय के दौरान ट्यूटर के रुप में कार्य करेंगे।
बीच में विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों का पुनःसमाकलन (Reintegrating Dropouts)	• परिवहन व्यवस्था, छात्रावास व छात्रों की सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करके और सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं परामर्शदाताओं के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों का पता लगाकर शिक्षा तक उनकी पहुंच संबंधी अंतराल को कम करना। • लंबे समय तक विद्यालय न जाने वाले किशोर-किशोरियों के लिए 'सेकंड-चांस एजुकेशन प्रोग्राम'।

पाठ्यक्रम एवं अध्यापन (Curriculum and Pedagogy)	• **5 + 3 + 3 + 4 प्रतिमान को अपनाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
	  ○ **बुनियादी चरण (Foundational Stage)** के 5 वर्ष: प्री-प्राइमरी स्कूल के 3 वर्ष तथा कक्षा 1 एवं 2;
	  ○ **तैयारी संबंधी चरण (Preparatory Stage)** के 3 वर्ष: कक्षा 3, 4 और 5;
	  ○ **माध्यमिक चरण (Middle Stage)** के 3 वर्ष: कक्षा 6, 7 और 8; एवं
	  ○ **उच्च चरण (High Stage)** के 4 वर्ष: कक्षा 9, 10, 11 और 12.
	• अधिक समग्र, अनुभवात्मक, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित अधिगम का अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक आवश्यक विषय सामग्री में **पाठ्यक्रम के भार को कम करना।**
	• विद्यार्थियों के लिए **विषयों के चयन में लचीलापन।**

उच्चतर शिक्षा (Higher Education)	
संस्थागत पुनःसंरचना (Institutional	• विभिन्न विषयों (disciplines) के कार्यक्रमों के साथ बहु-विषयक संस्थानों का विकास करना।

Restructuring)	• निम्नलिखित तीन प्रकार के संस्थानों के साथ एक नई संस्थागत संरचना: • **टाइप 1: अनुसंधान विश्वविद्यालय-** अनुसंधान और शिक्षण पर समान रुप से ध्यान केंद्रित करेंगे। • **टाइप 2: शिक्षण विश्वविद्यालय-** मुख्य रुप से उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा साथ ही अत्याधुनिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। • **टाइप 3: महाविद्यालय-** अनन्य रुप से उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
अधिक उदार शिक्षा (More Liberal Education)	• सभी छात्रों के लिए एक **साझा पाठ्यक्रम और एक/दो क्षेत्र (क्षेत्रों)** की विशेषज्ञता के साथ स्नातक पाठ्यक्रम को पुनःतैयार करना। • **लिबरल आर्ट्स** में चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रमों को प्रारंभ करना, जिसमें उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ विविध एग्जिट विकल्प उपलब्ध हों। • पांच **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ लिबरल आर्ट्स** को मॉडल बहु-विषयक लिबरल आर्ट्स संस्थानों के रुप में स्थापित किया जाना चाहिए।
इष्टतम अधिगम परिवेश (Optimal Learning Environments)	• **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF)** द्वारा अधिगम परिणामों को रेखांकित किया जाएगा। **विकास** के लिए मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाना चाहिए **न कि निर्णय पर।** • विद्यार्थियों की **व्यावसायिक तत्परता** पर ध्यान देना और उन्हें **संस्थागत प्रक्रियाओं** में शामिल करना।
अनुसंधान (Research)	• **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना:** गुणवत्तायुक्त अनुसंधान के लिए निधि उपलब्ध कराना तथा परामर्श, प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना। इसमें चार प्रमुख प्रभाग शामिल होंगे, यथा- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और कला एवं मानविकी। हालाँकि, अतिरिक्त प्रभागों को शामिल करने के प्रावधान भी शामिल होंगे।
शिक्षा अभिशासन एवं विनियमन (Education Governance and Regulation)	
सामान्य (General)	• शिक्षा से संबंधित विज़न के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और पुनरीक्षण के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (RSA)** और मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में **राज्य शिक्षा आयोगों** की स्थापना करना।
विद्यालय (Schools)	• **पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना:** ये कॉम्प्लेक्स एक सन्निहित क्षेत्र में सभी चरणों की शिक्षा प्रदान करने वाले पब्लिक स्कूलों के समूह के रुप में स्थापित किए जाएंगे। • राज्यों द्वारा शिक्षा संबंधी अन्य कार्यों, यथा- नीति निर्धारण, स्कूल संचालन आदि के **नियामक कार्यों को पृथक** किया जाएगा। • प्रत्येक राज्य के लिए एक **स्वतंत्र राज्य विद्यालय विनियामकीय प्राधिकरण** का गठन करना, जो सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समान बुनियादी मानक निर्धारित करेगा। • प्रत्येक जिले में विद्यालय प्रणाली की निगरानी के लिए **जिला शिक्षा परिषद** की स्थापना की जाएगी।
उच्चतर शिक्षा संस्थान (Higher Education Institutions: HEIs)	• सभी सरकारी और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान, एक **स्वतंत्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** द्वारा शासित होंगे। यह बोर्ड पूर्ण स्वायत्तता युक्त एवं संस्थानों के लिए सर्वोच्च निकाय होगा। • **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद** के नेतृत्व में एक प्रत्यायन परिवेश का सृजन करना।
शिक्षक प्रबंधन (Teacher Management)	
• उत्कृष्ट छात्रों को अध्यापन पेशे में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **योग्यता आधारित छात्रवृत्ति** प्रदान करना।	

VISION IAS

- शिक्षकों को जिले के आधार पर भर्ती करके (जैसा कि अब कई राज्यों में किया जाता है) प्रथमतः स्कूल कॉम्प्लेक्स में नियुक्त किया जाएगा और तत्पश्चात उन्हें विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार, अलग-अलग विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा।
- देश भर में सभी **"पैरा-टीचर"** (शिक्षाकर्मी) प्रणालियों को वर्ष 2022 तक समाप्त कर दिया जाएगा।
- शिक्षकों को विद्यालय समय के दौरान उनकी शिक्षण क्षमताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी **गैर-शिक्षण गतिविधियों** (जैसे- मध्यान्ह भोजन पकाना) **में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
- शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50 घंटे के लगातार चलने वाले **प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग** को अनिवार्यतः पूरा करने का प्रावधान किया गया है।
- HEIs में भी इसके समान **प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम** प्रारंभ किया जाना चाहिए। साथ ही वर्ष 2030 तक सभी HEIs में संकाय के लिए एक **स्थायी रोजगार (कार्यकाल) निगरानी प्रणाली** शुरु की जानी चाहिए।
- सभी शिक्षकों के पास **शैक्षिक प्रशासक** बनने हेतु संभावित करियर प्रोन्नति विकल्प उपलब्ध होंगे।

शिक्षा में प्रौद्योगिकी (Technology in Education)

- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन** के द्वारा आभासी प्रयोगशालाओं को स्थापित करना। इसके कारण दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विषयों के प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सकेगी। मिशन के तहत प्रौद्योगिकी के समावेशन, परिनियोजन और उपयोग पर निर्णयन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक स्वायत्त निकाय के रुप में **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम** को स्थापित किया जाएगा।
- अभिकलनात्मक बोध (समस्याओं और उनके समाधानों में चिंतन प्रक्रिया को इस प्रकार शामिल करना जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रभावी तरीके से उन्हें निष्पादित किया जाता है) का उपयोग करते हुए **विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।**
- संस्थानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रुप में बनाए रखने के लिए **नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ एजुकेशनल डेटा** को स्थापित किया जाएगा।

3.2. स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक

(School Education Quality Index: SEQI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग द्वारा **स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक** (School Education Quality Index : SEQI) का **द्वितीय संस्करण** जारी किया गया।

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान

वर्तमान में स्कूली शिक्षा का विषय भारतीय संविधान की **अनुसूची 7** की **समवर्ती सूची** में समाविष्ट है। इसे **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था।

SEQI के बारे में

- इसे **नीति आयोग** द्वारा **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (UTs), **विश्व बैंक** तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह सूचकांक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को **ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने** में सक्षम बनाता है। इस प्रकार यह **प्रतिस्पर्धी व सहयोगात्मक संघवाद** की भावना को भी प्रोत्साहित करता है।

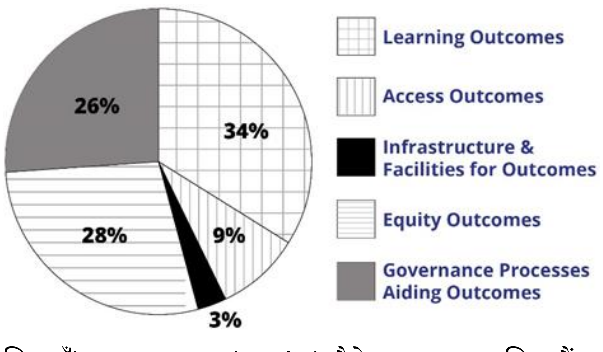

- **संकेतक:** इसमें **30 संकेतक** शामिल हैं, जिन्हें निम्नलिखित दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
    - **परिणाम (Outcomes):** इसमें अधिगम (लर्निंग), पहुंच (यथा- शुद्ध नामांकन अनुपात, अवसंरचना और सुविधाएँ) तथा साम्यता (equity) जैसे आउटकम शामिल हैं;

- **शासन प्रक्रिया सहायता परिणाम (Governance processes aiding outcomes):** इसमें छात्रों और शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण, शासन की जवाबदेही तथा पारदर्शिता जैसे आउटकम में सहायक संकेतक शामिल हैं।

- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक समान तुलना के लिए **तीन समूहों,** यथा- बड़े राज्यों, छोटे राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है।
- **रैंकिंग:** यह **दो प्रकार की रैंकिंग** प्रदान करता है अर्थात् समग्र प्रदर्शन रैंकिंग (Overall performance ranking) और वृद्धिशील प्रदर्शन रैंकिंग (incremental performance ranking)।
- **निष्कर्ष:**
  - **बड़े राज्यों में-** समग्र प्रदर्शन स्कोर **केरल के लिए 76.6 प्रतिशत** से लेकर उत्तर प्रदेश के लिए 36.4 प्रतिशत रहा। हरियाणा, ओडिशा और असम ऐसे बड़े राज्य हैं, जिन्होंने सबसे अधिक सुधार किया है, जबकि कर्नाटक और उत्तराखंड के प्रदर्शन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गयी है।
  - **छोटे राज्यों में-** मेघालय, नागालैंड और गोवा में काफी सुधार हुआ है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा मिज़ोरम में गिरावट परिलक्षित हुई है।
  - **संघ शासित प्रदेशों में-** दिल्ली के साथ-साथ चंडीगढ़ ने भी अपने समग्र प्रदर्शन को बरकरार रखा है।

NITI AAYOG EDUCATION QUALITY INDEX

CATEGORIES	TOP 3	BOTTOM 3
Large states	Kerala, TN and Haryana	Telangana, Bihar, Jharkhand, UP
Small states	Tripura, Goa, Manipur	Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh
Union Territories	Chandigarh, Delhi, Puducherry	Dadra & Nagar Haveli, Andaman Islands, Lakshwadeep

3.3. पीसा टेस्ट

(PISA Test)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले अगले **पीसा टेस्ट** में भागीदारी करेगा।

पीसा (अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम) टेस्ट {Programme for International Student Assessment (PISA) TEST} के बारे में

- PISA वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन हेतु OECD (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) का एक कार्यक्रम है।
- इस टेस्ट का उद्देश्य इसका व्यापक विश्लेषण करना है कि किसी देश में शिक्षा प्रणाली अपने छात्रों को उच्च शिक्षा और इसके पश्चात् रोजगार के लिए तैयार करने के संदर्भ में किस दिशा में कार्य कर रही है।
- PISA टेस्ट के अंतर्गत **15 वर्ष 3 माह और 16 वर्ष 2 माह के मध्य की आयु** के उन छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, **जो किसी शैक्षणिक संस्था में 7वीं या इससे ऊपर की कक्षा में नामांकित हैं।**
- PISA **गणित, पठन (रीडिंग) और विज्ञान तथा नवोन्मेषी विषयों, जैसे कि सहयोगात्मक समस्या-समाधान एवं वित्तीय साक्षरता में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।**
  - परंपरागत टेस्ट और परीक्षाओं के विपरीत, PISA टेस्ट छात्रों का मूल्यांकन उनकी स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी अनुप्रयोग क्षमताओं के आधार पर करता है।
- PISA टेस्ट प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् आयोजित किया जाता है और आगामी टेस्ट को वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा। यह प्रथम बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था।

भारत की भागीदारी

- भारत ने इससे पूर्व मात्र एक बार, वर्ष 2009 में PISA टेस्ट में भाग लिया था, जिसमें इसने 73 देशों में 72वां स्थान प्राप्त किया था।
  - तात्कालीन सरकार ने वर्ष 2009 के खराब परिणामों के लिए इसमें शामिल "अप्रासंगिक (out of context)" प्रश्नों को उत्तरदायी ठहराया था और भविष्य में इसमें भाग न लेने का निर्णय लिया था।

VISION IAS

- हालांकि, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने PISA टेस्ट 2021 के लिए भारत की भागीदारी की पुष्टि की है।
  - चंडीगढ़ के सरकारी विद्यालयों और साथ ही 600 नवोदय विद्यालयों तथा 3,000 केंद्रीय विद्यालयों के लगभग 1.75 लाख छात्र वर्ष 2021 में होने वाले PISA टेस्ट में भाग लेंगे।

3.4. शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019

(Annual Status of Education Report (ASER) 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **NGO प्रथम** द्वारा **'अर्ली इयर्स'** नामक शीर्षक से **ASER रिपोर्ट, 2019** जारी की गयी।

ASER, 2019 सर्वेक्षण के बारे में

- **अर्ली इयर्स (प्रारंभिक वर्षों) पर ध्यान केंद्रित करना:** मानव जीवन चक्र के प्रारंभिक वर्षों को संज्ञानात्मक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है।
  - **ASER के 'अर्ली इयर्स' के तहत 4-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा या स्कूल-पूर्व की स्थिति** से संबंधित डेटा को एकत्रित किया गया है।
- यह निम्नलिखित **चार डोमेन** में वर्गीकृत चयनित दक्षताओं की खोज करता है:
  - आरंभिक भाषा अधिग्रहण;
  - आरंभिक गणितीय कौशल;
  - संज्ञानात्मक क्षमता; तथा
  - सामाजिक और भावनात्मक अधिगम।

ASER के बारे में

- ASER **नमूना-आधारित एक पारिवारिक सर्वेक्षण है** और भारत में **सबसे बड़ा नागरिक-आधारित सर्वेक्षण** है।
- यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है और इसका उद्देश्य **भारत के प्रत्येक राज्य एवं ग्रामीण जिले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति तथा सीखने (अधिगम) के मूलभूत स्तर** के संबंध में विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
- ASER, वर्ष 2005 से प्रति वर्ष ग्रामीण भारत में **5-16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों** के लिए मूलभूत पठन और अंकगणितीय कार्य करने की क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- वर्ष 2017 की **'बियॉन्ड बेसिक्स'** नामक ASER रिपोर्ट **14-18 वर्ष के आयु वर्ग** के बच्चों की क्षमताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं पर केंद्रित थी।

प्रमुख निष्कर्ष

- **छोटे बच्चों (4-8 वर्ष की आयु) के मध्य प्री-स्कूल और स्कूल नामांकन पैटर्न की स्थिति:** इस आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चों का किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में नामांकन है।
- **पूर्व-प्राथमिक ग्रेड (कक्षा I-III) में बच्चों की स्थिति:** इस संदर्भ में बच्चों के आयु वर्ग में भिन्नता है, जोकि कक्षा I में सर्वाधिक है, लेकिन इसके आगे की प्रत्येक कक्षा में यह घटती जाती है। साथ ही, प्रत्येक कार्य को अधिक आयु वाले बच्चे अपेक्षाकृत कम आयु वाले बच्चों की तुलना में बेहतर रूप से निष्पादित करते हैं।
- **सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी विद्यालयों का बेहतर प्रदर्शन:** निजी विद्यालयों के बच्चों को सभी महत्वपूर्ण कारकों, जैसे- कक्षा I में आयु भिन्नता, पारिवारिक कारक, यथा- संपन्नता, माता की शिक्षा और कुछ आधारभूत क्षमताएं जिनके साथ बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं, के कारण अपेक्षाकृत अधिक सीखने का लाभ प्राप्त होता है।
- **शिक्षा में माता की भूमिका:** प्री-प्राइमरी सेक्शन में, जिन बच्चों की माताओं द्वारा स्कूली शिक्षा के केवल आठ या उससे कम वर्ष ही पूर्ण किए गए हैं, उनके बच्चों की आंगनवाड़ियों या सरकारी प्री-प्राइमरी कक्षाओं में जाने की संभावना अधिक होती है।
- **लैंगिक अंतराल (Gender gaps):** यह अंतराल 4-8 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों के मध्य अधिक दृष्टिगत है। जहाँ सरकारी संस्थानों में नामांकित लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक है, वहीं निजी संस्थानों में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है।

VISION IAS

- **संज्ञानात्मक कौशल:** 5 वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चे सभी प्रकार की गतिविधियों को करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, जिन बच्चों के परिवारों में कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वे अपेक्षाकृत असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

भारत में प्री-स्कूली शिक्षा एवं देखभाल

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** में यह प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्री-स्कूल आयु, अर्थात् 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए **आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा** की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019** के मसौदा में आरंभिक बाल्यकाल की शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया गया है और पूर्व-प्राथमिक (प्री-प्राइमरी) शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey: NAS) के मध्य अंतर

ASER सर्वेक्षण	NAS सर्वेक्षण
• यह वर्ष 2005 से संचालित एक **घरेलू सर्वेक्षण** है।	• यह **स्कूल-आधारित सर्वेक्षण** है।
• इसमें प्रत्यक्ष रूप से (one on one) **मौखिक मूल्यांकन** किया जाता है।	• यह पेन पेपर के माध्यम से लिया जाने वाला टेस्ट है।
• यह सभी बच्चों (चाहे वे स्कूल में नामांकित हों या न हों) के प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर आधारित है।	• यह सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित बच्चों को शामिल करता है।
• यह पठन और गणित जैसे मूलभूत कौशलों पर केन्द्रित है।	• यह विभिन्न कौशलों पर ध्यान देता है।
• यह सर्वेक्षण भारत के **ग्रामीण क्षेत्रों** तक सीमित है।	• यह सर्वेक्षण संपूर्ण देश के **ग्रामीण और शहरी**, दोनों क्षेत्रों में संचालित किया जाता है।
• यह **नागरिक-आधारित** (citizen-led) सर्वेक्षण है तथा इसका संचालन **प्रथम (PRATHAM)** नामक NGO द्वारा करवाया जाता है।	• यह सर्वेक्षण मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** द्वारा संचालित किया जाता है।

3.5. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण

(All India Survey on Higher Education: AISHE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए **अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)** जारी किया है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के बारे में

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 से **प्रति वर्ष वेब आधारित AISHE** का संचालन किया जाता है।
- इस सर्वेक्षण में देश के **सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों** को सम्मिलित किया गया है, जिन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यथा- **विश्वविद्यालय, महाविद्यालय (कॉलेज) और स्टैंड-अलोन (विश्वविद्यालयों से असंबद्ध) संस्थान।**
- शैक्षणिक विकास के निम्नलिखित संकेतक भी AISHE के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं:
  - संस्थानों का घनत्व (Institution Density);
  - सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio);

VISION IAS

- छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher ratio);
- लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index); और
- प्रति छात्र व्यय (Per Student Expenditure)।

AISHE के प्रमुख निष्कर्ष

- **उच्चतर शिक्षा में नामांकन:** भारत में उच्चतर शिक्षा में (18-23 आयु वर्ग) **सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio: GER) वर्ष 2017-18 के 25.8% से आंशिक रूप से बढ़ कर वर्ष 2018-19 में 26.3%** हो गया है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी 26.3% और महिलाओं की भागीदारी 26.4% है।
  - छात्र नामांकन में **उत्तर प्रदेश शीर्ष** पर है उसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान है।
- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या:** विश्वविद्यालयों की संख्या और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- **घटता लैंगिक अंतराल:** नामांकित विद्यार्थियों में 51.36% पुरुष और 48.64% महिलाएं हैं, जो उच्चतर शिक्षा में लैंगिक अंतराल में होने वाली कमी को दर्शाता है।
- कॉलेज घनत्व अर्थात् एक लाख पात्र आबादी पर महाविद्यालयों की संख्या **अखिल भारतीय औसत (28) की तुलना में बिहार में 7 और कर्नाटक में 53 है।**
- **छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil Teacher Ratio: PTR):** यदि नियमित आधार पर नामांकन स्वीकार किया जाता है, तो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यह अनुपात **29** है।
- विदेशी छात्रों में सर्वाधिक हिस्सेदारी पड़ोसी देशों की है, जिसमे **नेपाल** शीर्ष स्थान पर है और उसके पश्चात् **अफ़ग़ानिस्तान** का स्थान है।
- **सामाजिक पिछड़ापन:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मध्य छात्र नामांकन क्रमशः 14.89% एवं 5.53% है। अल्पसंख्यकों में, 5.23% छात्र मुस्लिम वर्ग के और 2.32% अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हैं।

3.6. शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम

(Education Quality Upgradation And Inclusion Programme: EQUIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों (2019-2024) में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने हेतु 1.5 लाख करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना "शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम (EQUIP)" को प्रारम्भ करने की योजना बनाई है।

शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम (EQUIP) के बारे में

- यह **नीति और कार्यान्वयन** के मध्य के अंतराल को कम करने में सहायक होगा।
- **उद्देश्य:**
  - उच्चतर शिक्षा में **सकल नामांकन अनुपात (GER)** को दोगुना करना;
  - उच्चतर शिक्षण संस्थानों तक पहुँच हेतु भौगोलिक विषमता संबंधी बाधाओं को दूर करना;
  - वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को देश भर में लागू करना;
  - कम-से-कम 20 भारतीय संस्थानों को शीर्ष वैश्विक संस्थानों की सूची में लाना तथा अनुसंधान/नवाचार के परिवेश को बढ़ावा देना;
  - छात्रों के लिए रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता में आवश्यक सुधार करना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए रूपरेखा तैयार करना;
  - बेहतर मान्यता प्रणाली;
  - शिक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग; और
  - शासन सुधार एवं निवेशों में मात्रात्मक वृद्धि करना।

3.7. नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी

(National Educational Alliance for Technology: NEAT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने एक नई योजना, **नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी (NEAT)** की घोषणा की है।

नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के बारे में

- इस **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
- इसमें शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यक्तिगत और अनुकूलित बनाने के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाली कंपनियों के साथ** साझेदारी की जाएगी।
  - इसका उद्देश्य छात्रों की सुगम पहुंच के लिए इस तकनीक पर कार्य करने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों को एक साझा मंच प्रदान करना है।
- **एडटेक कंपनियां** समाधान विकसित करने और NEAT पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों के पंजीकरण के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी।
  - ये अपनी नीति के अनुसार शुल्क भारित करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
  - चयनित एडटेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- MHRD यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधाप्रदात्ता के रूप में कार्य करेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की एक बड़ी संख्या के लिए स्वतंत्र रूप से समाधान उपलब्ध हो सके।
  - इसके तहत **राष्ट्रीय NEAT प्लेटफ़ॉर्म का सृजन** एवं प्रबंधन किया जाएगा, जो इन तकनीकी समाधानों के लिए एकल बिंदु पहुंच प्रदान करेगा।
  - कंपनियां वंचित समुदायों के छात्रों के लिए NEAT पोर्टल के माध्यम से उनके समाधान हेतु कुल पंजीकरण पर मुफ्त कूपन (25% की सीमा तक) प्रदान करेंगी।
  - MHRD के अधीन **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE**), जोकि देश में तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक निकाय है, NEAT कार्यक्रम के लिए **कार्यान्वयन एजेंसी** होगी।
  - इस योजना का संचालन MHRD द्वारा गठित एक सर्वोच्च समिति के मार्गदर्शन में किया जाएगा।
  - एडटेक समाधानों के मूल्यांकन और चयन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

प्रधान मंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme-DHRUV)

- हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने **प्रधान मंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव** का शुभारंभ किया।
- यह कार्यक्रम तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ एवं मेधावी छात्रों की प्रतिभा का अन्वेषण करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा तथा उन्हें उनकी रूचि के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- यह **14-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** है, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श एवं शिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम का नाम 'ध्रुव' तारे के नाम पर 'ध्रुव' रखा गया है तथा प्रत्येक चयनित छात्र 'ध्रुव तारा' कहलाएगा।
- इस कार्यक्रम में दो क्षेत्र, यथा- **विज्ञान** एवं **निष्पादन कलाएं** शामिल हैं। इसके प्रथम बैच में कुल 60 छात्र होंगे (प्रत्येक से 30)।
- छात्रों का चयन मुख्यतः सभी विद्यालयों (सरकारी एवं निजी दोनों) की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों में से किया जाएगा।
- बाद में इस कार्यक्रम का विस्तार उत्तरोत्तर रचनात्मक लेखन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

VISION IAS

3.8. प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना

(Prime Minister's Scholarship Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund: NDF) के अंतर्गत प्रदत्त प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS) में परिवर्तन को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

विवरण

- PMSS का उद्देश्य सशस्त्र बलों, अर्ध-सैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के मृतक/पूर्व-सेवा कर्मियों की विधवाओं और बच्चों के लिए **तकनीकी व स्नातकोत्तर शिक्षा को बढ़ावा देना है।**
- सशस्त्र बलों के संबंध में इसे पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (रक्षा मंत्रालय) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
    - अर्धसैनिक बलों और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के संबंध में इस योजना को क्रमशः गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **नवीन परिवर्तन:** इस योजना में आतंकवादी/नक्सली हमलों के दौरान शहीद हुए **राज्य पुलिस अधिकारियों** के आश्रितों को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय रक्षा निधि (NDF) के बारे में

- इसे राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकद और अन्य प्रकार के स्वैच्छिक दान का प्रभार लेने तथा उनके उपयोग पर निर्णय लेने के लिए स्थापित किया गया है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी।
- इसका उपयोग सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है।
- यह एक **कार्यकारी समिति** द्वारा प्रशासित होता है, इस समिति में प्रधान मंत्री अध्यक्ष के रुप में तथा रक्षा, वित्त व गृह मंत्री इसके सदस्य के रुप में शामिल होते हैं।

3.9. इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस

(Institute of Eminence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 14 और उच्च शिक्षण संस्थानों को इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस (IoE) का दर्जा प्रदान किया है। इस कार्यवाही के कारण अब इस सूची में कुल 20 संस्थान शामिल हो गए हैं।

इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस के बारे में

- **लक्ष्य:** इस योजना का लक्ष्य IoEs के रूप में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों को आगामी 10 वर्षों में वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 और आगे के वर्षों में शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान दिलाना है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को देश के भीतर विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएँ प्रदान करना तथा देश की शिक्षा के सामान्य स्तर में वृद्धि करना है।
- **वित्तीय सहायता:** IoE के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को पांच वर्षों की अवधि तक 1,000 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    - **निजी संस्थानों के मामले में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी,** परन्तु उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी के विशेष वर्ग के रूप में अधिक स्वायत्तता हेतु अधिकृत किया जाएगा।
- **ग्रीनफ़ील्ड संस्थान:** ग्रीनफ़ील्ड संस्थानों को अपने संस्थान की स्थापना और परिचालन हेतु तीन वर्ष की समयावधि प्रदान की जाएगी तथा तत्पश्चात सशक्त विशेषज्ञ समिति (Empowered Expert Committee: EEC) ऐसे संस्थानों को IoE दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी।
    - सरकार ने वर्ष 2018 में **इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस (IoE)** का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले 104 संस्थानों (सार्वजनिक या निजी) में से 20 संस्थानों के चयन के लिए चार सदस्यीय EEC का गठन किया था।

VISION IAS

IoE दर्जे की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- अत्यधिक स्वायत्तता व प्रवेश लेने वाले छात्रों के 30% तक विदेशी छात्रों के प्रवेश की अनुमति।
- संकाय की कुल संख्या के 25% तक विदेशी संकाय को भर्ती करने की अनुमति।
- 20% तक ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराना।
- UGC की अनुमति के बिना वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित करना।
- बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी छात्रों पर शुल्क प्रभारित व निर्धारित करने की स्वतंत्रता।
- डिग्री लेने हेतु क्रेडिट ऑवर्स (credit hours) और वर्षों की संख्या के संदर्भ में पाठ्यक्रम संरचना में लचीलापन (Flexibility)।
- IoEs को करिक्युलम और पाठ्यक्रम आदि के संदर्भ में पूर्ण लोचशीलता प्रदान की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

परामर्श योजना (Paramarsh Scheme)

- हाल ही में, **केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** की **'परामर्श' योजना** का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (National Accreditation and Assessment Council: NAAC) से मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के **महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत** पाठ्यक्रम संबंधी पहलू, शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन, अनुसंधान, नवाचार, संस्थागत मूल्य एवं व्यवहार आदि शामिल किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत UGC के "गुणवत्ता अधिदेश" (Quality Mandate) में सूचीबद्ध गुणवत्ता मानकों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए परामर्श हेतु 1,000 उच्च शिक्षण संस्थानों को लक्षित किया जाएगा।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)

- इसे वर्ष 1994 में UGC के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI) की कार्यप्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाना है।
- NAAC अपना कार्य 'सामान्य परिषद' (GC) और 'कार्यकारी समिति' (EC) के माध्यम से सम्पन्न करती है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासक, नीति-निर्माता और भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों से वरिष्ठ शिक्षाविद शामिल होते हैं।
- UGC के अध्यक्ष ही NAAC की सामान्य परिषद (GC) के अध्यक्ष होते हैं। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष एक उत्कृष्ट आकदमिक व्यक्तित्व होता है, जिसका मनोनयन सामान्य परिषद (GC) के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

3.10. स्टडी इन इंडिया

(Study in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेशी छात्रों को भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित करने हेतु, बजट 2020 में **"स्टडी इन इंडिया"** योजना के तहत एक **इंडो-सैट (Indo-SAT)** परीक्षा प्रारंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ताकि एशिया और अफ्रीका से भारत में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जा सके।

स्टडी इन इंडिया के बारे में

- **'स्टडी इन इंडिया'** कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य **भारत की एक आकर्षक शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान स्थापित करके विदेशी छात्रों को लक्षित करना** है।
- यह कार्यक्रम **दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के चयनित 30 से अधिक देशों** से अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं को आकर्षित करने पर केंद्रित है।

VISION IAS

- **उद्देश्य**
  - पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत की **साफ्ट पॉवर में सुधार करना** और इसका कूटनीति में एक साधन के रूप में उपयोग करना।
  - भारत में **अंतर्गामी (inbound) अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि करना।**
  - वैश्विक शिक्षा निर्यात में भारत की बाजार हिस्सेदारी को 1 प्रतिशत से दोगुना करके 2 प्रतिशत तक करना।
  - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय तथा प्लवन प्रभावों (spillover effects) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं के योगदान में वृद्धि करना।
  - उच्चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना।
  - शैक्षिक गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक रैंकिंग में वृद्धि करना।
  - अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं की संख्या में निर्यात-आयात (बाहर जाने वाले एवं देश में आने वाले छात्रों के मध्य) असंतुलन को कम करना।
- यह कार्यक्रम वहनीय दरों पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र-छात्राओं को सीटें प्रदान करने के माध्यम से **चयनित प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी** की परिकल्पना करता है।
- इस नीति में मेधावी विदेशी छात्र-छात्राओं के लिए **प्रस्तावित शुल्क माफी** संस्थान द्वारा निर्धारित की जाएगी।
  - शुल्क माफी पर आने वाला व्यय संबंधित संस्थान को वहन करना होगा। इसके लिए सरकार से कोई अतिरिक्त नकदी प्रवाह प्रस्तावित नहीं है।
- यह **मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल** है।
- मिनी रत्न श्रेणी-I का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (CPSE), **EdCIL (इंडिया) लिमिटेड** 'स्टडी इन इंडिया' शिक्षा अभियान के लिए **मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्रियान्वयन एजेंसी** है।
- विदेशी छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करने वाले एक **केंद्रीकृत प्रवेश वेब पोर्टल** (centralised admission web portal) को भी लॉन्च किया गया है।

3.11. क्यू.एस. भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग

(QS India University Rankings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **क्यू.एस. भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग** का द्वितीय संस्करण जारी किया गया।

प्रमुख निष्कर्ष

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) शीर्ष दस में से सात स्थान प्राप्त करके सूची में वर्चस्व बनाए हुए हैं।

- लगातार दूसरे वर्ष **IIT-बॉम्बे** इस सूची में शीर्ष स्थान पर तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर हैं।
- इस रैंकिंग में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उच्चतर शिक्षा से संबद्ध संस्थानों अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है।
- **संस्थानों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए आठ संकेतकों से युक्त एक कार्यप्रणाली** का उपयोग किया गया है। ये संकेतक निम्नलिखित हैं:
  - शैक्षणिक प्रतिष्ठा (30% भारिता);
  - नियोक्ता की प्रतिष्ठा (20%);
  - संकाय-छात्र अनुपात (20%);
  - पीएचडी धारक शिक्षकों का अनुपात (10%);
  - प्रति संकाय शोध-पत्रों की संख्या (10%);
  - प्रति शोध-पत्र अनुलेखन की संख्या (5%);
  - अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात (2.5%); तथा
  - अंतर्राष्ट्रीय संकाय का अनुपात (2.5%)।

- **QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया, 2020** में, एशिया के 550 शीर्ष संस्थानों में **96 भारतीय संस्थान** (शीर्ष 100 में 8 और शीर्ष 250 में 31) शामिल हैं।
- इसमें केवल चीन के संस्थानों की संख्या भारत के संस्थानों की तुलना में अधिक है। इस वर्ष शीर्ष 10 में चीन के चार संस्थान शामिल हैं, जबकि **शीर्ष 30 में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है।**
  - भारत के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान के अंतर्गत **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे** (विगत वर्ष की तुलना में एक स्थान गिरकर कर 34वें स्थान पर), इसके पश्चात् **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली** (43वां स्थान) और **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास** (50वां स्थान) शामिल हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

QS विश्वविद्यालय रैंकिंग के बारे में

- QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त एक ब्रिटिश कंपनी **क्वैकरेली साइमंड्स** (Quacquarelli Symonds) द्वारा विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है।
- वर्तमान में QS प्रणाली में पांच स्वतंत्र क्षेत्रों (एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप और मध्य एशिया, अरब क्षेत्र तथा ब्रिक्स) सहित समग्र वैश्विक एवं विषयगत रैंकिंग प्रदान की जाती है।

टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2020

- इस वर्ष **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु** और **IIT रोपड़** को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 से **IISc** इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान बना हुआ है।
- इन दोनों संस्थानों ने विश्व के शीर्ष 301-350 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त किया है।

4. स्वास्थ्य

(Health)

4.1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019

(National Medical Commission Act 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission: NMC) अधिनियम, 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई।

पृष्ठभूमि

- **प्रो. रंजीत रॉय चौधरी समिति (वर्ष 2015)** द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India:MCI) के कार्यों में संरचनात्मक सुधार करने की अनुशंसा की गई थी और एक **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग** के गठन का सुझाव दिया था।
- इसके पूर्व विभिन्न अन्य समितियों जैसे **लोढ़ा पैनल (वर्ष 2016)** और **अरविंद पनगढ़िया** ने भी MCI को समाप्त करने का सुझाव दिया था।
- कुछ समय पूर्व सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के माध्यम से MCI के निरसन (superseded) का निर्णय लिया था। इसके साथ ही MCI की शक्तियों को निर्वाचित परिषद निकाय से स्थानांतरित करके **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** को सौंप दिया गया।
- हाल ही में, सरकार ने उक्त अध्यादेश के अंतरिम प्रावधानों को जारी रखने हेतु **भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019** को भी पारित किया है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम, 2019 के माध्यम से MCI को एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित करने के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India: MCI)

- यह एक **सांविधिक** निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई है।
- यह निम्नलिखित को विनियमित करती है:
  - चिकित्सा शिक्षा के मानक।
  - चिकित्सा महाविद्यालयों या पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने अथवा सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति प्रदान करना।
  - चिकित्सकों के पेशेवर आचरण मानकों, जैसे- चिकित्सकों का पंजीकरण आदि का निर्धारण।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को निरस्त करने तथा भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को NMC द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रावधान करता है।
- यह ऐसी **चिकित्सा शिक्षा प्रणाली** का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करती है:
  - भारतीय चिकित्सा प्रणाली में उच्च स्तरीय चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त उपलब्धता।
  - चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाया जाए।
  - चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना।
  - एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना।
- **NMC का गठन:** यह अधिनियम NMC के गठन का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के पारित होने के तीन वर्षों के भीतर, राज्य सरकारों के द्वारा भी राज्य स्तर पर राज्य चिकित्सा परिषदों की स्थापना की जाएगी।
  - **NMC में 25 सदस्य शामिल होंगे**, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित एक खोज समिति (Search Committee) द्वारा केंद्र सरकार को आयोग के अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के पद के लिए नामों का सुझाव दिया जाएगा।

VISION IAS

- NMC के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - अध्यक्ष (अनिवार्य रूप से मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए);
  - स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष;
  - जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय;
  - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक;
  - पांच सदस्य (अंशकालिक), जो दो वर्ष की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीकृत चिकित्सकों में से चुने जाएंगे।

- **NMC के कार्य**
  - चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करना।
  - स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मानव संसाधन व अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।
  - अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों का राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।
- **चिकित्सा परामर्श परिषद (Medical Advisory Council):** इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार एक चिकित्सा परामर्श परिषद का गठन करेगी।
  - यह परिषद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को NMC के समक्ष अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने हेतु प्राथमिक मंच प्रदान करेगी।
  - यह परिषद, NMC को **चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के न्यूनतम मानक स्तर बनाए रखने के संबंध में सुझाव देगी।**
- **स्वायत्त बोर्ड्स:** इस अधिनियम के अंतर्गत NMC की निगरानी में स्वायत्त बोर्ड्स की स्थापना की का भी प्रावधान है। प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बोर्ड्स निम्नलिखित हैं :
  - **अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (UGMEB) एवं पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB):** ये मानकों, पाठ्यक्रमों तथा दिशा-निर्देशों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही, ये क्रमश: स्नातक एवं परास्नातक स्तरों पर प्राप्त चिकित्सा शिक्षा को मान्यता प्रदान करेंगे;
  - चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण और रेटिंग के लिए **मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB);** और
  - पेशेवरों के आचरण और चिकित्सा नीतिशास्त्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए **एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड (EMRB)।** यह बोर्ड-
    - लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों; और
    - सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं (CHPs) के राष्ट्रीय रजिस्टरों को भी बनाए रखेगा।
- **सीमित लाइसेंसिंग:** इस अधिनियम के तहत, NMC चिकित्सा क्षेत्र के लिए आधुनिक चिकित्सा पेशे से जुड़े कुछ मध्यम स्तर के चिकित्सकों को एक सीमित लाइसेंस प्रदान कर सकता है। ये मध्यम स्तर के चिकित्सक प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल हेतु निर्दिष्ट दवाएं अनुशंसित (प्रेस्क्राईब) कर सकते हैं।
- **प्रवेश परीक्षा:** इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। NMC ऐसे सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श आयोजित करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।
- **नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT):** इस अधिनियम में यह भी उल्लेख किया गया है कि MBBS के पश्चात् प्रक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नेशनल एग्जिट टेस्ट, स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में भी कार्य करेगा।
- **फीस का विनियमन:** इस अधिनियम के अंतर्गत निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के "फीस एवं अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए" NMC को दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - वर्तमान में, ऐसी संस्थानों में 85% सीटों के संबंध में शुल्कों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा शेष का निर्धारण प्रबंधन के द्वारा किया जाता है।

4.2. स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019

{The Healthcare Service Personnel and Clinical Establishments (Prohibition 0f Violence and Damage to Property) Bill, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019 तैयार किया गया है। **इसका उद्देश्य चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के विरूद्ध होने वाली हिंसा को रोकना है।**

पृष्ठभूमि

- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, **75% स्वास्थ्य कर्मियों** को अपने करियर के दौरान **हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से 50-60% हिंसा ICU और आपातकालीन सेवा प्रभाग में होती है।**
- **वर्तमान में, इस प्रकार के हिंसक कृत्य हेतु भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।** स्वास्थ्य कर्मियों को विभिन्न राज्य कानूनों के अंतर्गत भी संरक्षण प्रदान किया गया है।
- हालांकि, वर्तमान कानून स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में विद्यमान कमियों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्मिक एवं नैदानिक प्रतिष्ठान (हिंसा और संपत्ति क्षति निषेध) विधेयक, 2019 की प्रमुख विशेषताएं

- **हिंसा की परिभाषा:** प्रारूप विधेयक के अंतर्गत, हिंसा से तात्पर्य ऐसे किसी भी कार्य से है जिससे:
    - अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते समय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के जीवन की हानि हो सकती है, उन्हें चोट पहुंच सकती है या उनके जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है;
    - अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करते समय स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए अवरोध या बाधा उत्पन्न हो सकती है; और
    - एक चिकित्सीय प्रतिष्ठान में किसी संपत्ति या दस्तावेजों को हानि या क्षति पहुंचाई जा सकती है।
- **संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध:** प्रारूप विधेयक में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के विरूद्ध किए जाने वाले हिंसात्मक कृत्यों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। ऐसे अपराधों की जांच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।
- **स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और प्रतिष्ठान के लिए कवरेज की सीमा:** इसके तहत चिकित्सकों, नर्सों और पराचिकित्सकीय कर्मियों से लेकर चिकित्सीय नर्सों, चिकित्सीय छात्रों और एम्बुलेंस चालकों तक को शामिल किया गया है। चिकित्सीय प्रतिष्ठान की संपत्ति में अस्पताल, क्लिनिक, औषधालय, स्वास्थ्यालय, एम्बुलेंस और यहाँ तक कि एक मोबाइल यूनिट (सचल इकाई) भी सम्मिलित है।
- **दंड और अर्थदंड:** प्रारूप विधेयक के अंतर्गत, हिंसा करने वाले या ऐसी हिंसा को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को **पांच लाख रुपये तक के अर्थदंड** के साथ **छह माह से लेकर पांच वर्ष तक के कारावास** की सजा दी जाएगी। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को **गंभीर क्षति** पहुंचाता है, तो उसे **दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के अर्थदंड के साथ तीन वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की अवधि तक के कारावास** की सजा दी जा सकती है।
    - प्रारूप विधेयक के अंतर्गत, दोषी व्यक्ति, किए गए अपराधों के लिए दंड के अतिरिक्त, प्रभावित पक्षों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जैसे कि संपत्ति क्षतिग्रस्त किये जाने की स्थिति में दोषी द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य का दोगुना भुगतान किया जाएगा।
    - यदि दोषी व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करके राशि वसूल की जाएगी।

4.3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

(Mental Healthcare)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल** के क्षेत्र में विभिन्न आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल पर चर्चा हुई है।

पृष्ठभूमि

- हालिया **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण** के अनुसार, भारत में लगभग **150 मिलियन लोगों** के मानसिक स्वास्थ्य स्थिति की देखभाल करने की आवश्यकता है।
    - इसमें आगे यह कहा गया है कि इनमें से 70 से 92 प्रतिशत लोग **उपचार प्राप्त करने में विफल रहे हैं।**
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत में विश्व स्तर पर **किशोर आत्महत्या की दर सर्वाधिक** है।
- मानसिक स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य-3 का भाग है, जिसका उद्देश्य सभी के कल्याण पर बल देना है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मुद्दे

- **समस्याओं के बारे में जागरूकता का अभाव;**
- **अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव;**
- **जागरूकता के अभाव के कारण सामाजिक कलंक;**
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि;** तथा
- **कार्यान्वयन का अभाव:** केवल 19 राज्यों ने ही अब तक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को लागू किया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme: NMHP):** यह वर्ष 1982 से लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार मानसिक विकारों/रोगों का पता लगाने, प्रबंधन और उपचार के लिए देश के 517 जिलों में **जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (District Mental Health Programme: DMHP)** के कार्यान्वयन को समर्थन प्रदान कर रही है।
- भारत सरकार ने एक **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, 2014** शुरू की है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
    - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तक सार्वभौमिक पहुँच।
    - मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नेतृत्व को सुदृढ़ करना।
    - केंद्र तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और नागरिक समाज संगठनों को भूमिकाएं प्रदान करना।
- मानसिक स्वास्थ्य से समस्याग्रस्त लोगों को भेदभाव से बचाने और उनके निर्णयों के संबंध में उनकी स्वायत्तता में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017** को अधिनियमित किया है।
- **राह (RAAH) ऐप:** इस ऐप का निर्माण **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान** (National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences: NIMHANS) द्वारा किया गया है। यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो लोगों को सरकारी एवं अन्य संगठनों, जैसे- NGOs, क्लीनिकों, अस्पतालों तथा पुनर्वास केंद्रों के साथ कार्य करने वाले पेशेवरों, यथा- मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोरोगी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा विशेषज्ञों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (Mental Healthcare Act, 2017)

- **मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के अधिकार:** प्रत्येक व्यक्ति के पास वहनीय कीमत पर तथा बेघरों और BPL को निःशुल्क दरों पर सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- **अग्रिम निर्देश:** मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को अपने उपचार के संबंध में तथा अपने नामित प्रतिनिधि के बारे में अग्रिम निर्देश देने हेतु समर्थ बनाया गया है।
- **केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण:** इन निकायों से यह अपेक्षा की गयी है कि ये मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, पेशेवरों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य मुद्दों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को विनियमित करेंगे।
- **आत्महत्या को अपराध नहीं माना जाएगा:** आत्महत्या करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा और IPC धारा 309 के तहत दोषी नहीं माना जाएगा।
- **मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग:** यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय होगा। यह समय-समय पर मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के

VISION IAS

अधिकारों के संरक्षण पर सरकार को अग्रिम निर्देश और सलाह देगा तथा प्रक्रिया की समीक्षा करेगा।
- **मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड,** मानसिक रुग्णता वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और अग्रिम निर्देशों का प्रबंधन करेगा।
- मांसपेशियां शिथिल करने वाली औषधियों और एनेस्थीसिया का उपयोग किए बिना मानसिक रुग्णता वाले व्यक्ति की इलेक्ट्रो-कन्वल्सिव थेरेपी नहीं की जाएगी।

4.4. मातृ मृत्यु दर में गिरावट

(Maternal Mortality Declines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (Sample Registration Survey: SRS) द्वारा जारी किए गए मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन में भारत में मातृ मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है।

मातृ मृत्यु

- WHO के अनुसार**, मातृ मृत्यु से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यु हो जाने से है,** जो कि गर्भावस्था की अवधि आदि के विपरीत गर्भावस्था या इसके प्रबंधन से संबंधित या इसके द्वारा प्रेरित किसी भी कारण से हो सकती है, किन्तु किसी दुर्घटनावश या आकस्मिक कारण से नहीं होनी चाहिए।
    - **मातृ मृत्यु दर (MMR):** इसे प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों प्रसव के दौरान या प्रसव के कारण मरने वाली माताओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- लगभग **75 प्रतिशत मातृ मृत्यु** के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
    - गंभीर रक्तस्राव (मुख्यत: प्रसव के पश्चात्);
    - संक्रमण (सामान्यत: प्रसव के पश्चात्);
    - गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप; तथा
    - प्रसव एवं असुरक्षित गर्भपात की जटिलताएं।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDG) के अंतर्गत वर्ष 2030 तक **वैश्विक MMR को घटाकर 70 (प्रति एक लाख जीवित जन्म पर) से कम करने का लक्ष्य है।**

प्रासंगिक सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन;
- लक्ष्य (LaQshya);
- POSHAN अभियान;
- प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान;
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम;
- जननी सुरक्षा योजना;
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना;
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन पहल (SUMAN), आदि।

प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (Sample Registration Survey: SRS)

- यह संपूर्ण देश में विस्तृत निष्पक्ष प्रतिनिधि इकाइयों में जन्म और मृत्यु की दोहरी रिकॉर्डिंग की प्रणाली पर आधारित है।
- SRS द्वारा (a) जनसंख्या संरचना, (b) प्रजनन, (c) मृत्यु और (d) जन्म या मृत्यु के समय चिकित्सा देखभाल के संबंध में वार्षिक अनुमान प्रदान किया जाता है, जो हेल्थकेयर तक पहुंच के संदर्भ में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है।
- SRS इन संकेतकों पर विश्वसनीय और निरंतर डेटा सृजित करने हेतु **रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय** की एक पहल है।

VISION IAS

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- भारत में MMR वर्ष 2014-2016 के 130 से घटकर वर्ष 2015-17 में **122** रह गई है।
- **SRS ने राज्यों को निम्नलिखित तीन समूहों में वर्गीकृत किया है:**
    - **सशक्त कार्रवाई समूह (Empowered Action Group: EAG) राज्य:** बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम। EAG राज्यों में MMR 188 से घटकर 175 हो गई है।
    - **दक्षिणी राज्य:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यहां MMR 77 से घटकर 72 हो गई है।
    - **अन्य राज्य:** शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में MMR **93** से घटकर **90** हो गई है।
- केरल में MMR निम्नतम (42) है, जबकि असम में यह सर्वाधिक (229) है।
- जहां कर्नाटक में MMR में सर्वाधिक गिरावट आई है, वहीं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में MMR में 15 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।

4.5. स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत

(Healthy States, Progressive India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** द्वारा **"स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत"** शीर्षक से व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि

- इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों या पैमानों के साथ-साथ समग्र प्रदर्शन में हुए वार्षिक वृद्धिशील परिवर्तन के आधार पर **राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों** की रैंकिंग की जाती है।
- विश्व बैंक की तकनीकी सहायता के साथ एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के परामर्श से इस रिपोर्ट को **नीति आयोग** द्वारा तैयार किया गया है।
- यह स्वास्थ्य सूचकांक निम्नलिखित तीन क्षेत्रों पर आधारित एक **भारित समग्र सूचकांक** है:
    - **स्वास्थ्य परिणाम** (70%);
    - **अभिशासन और सूचना** (12%); तथा
    - **महत्वपूर्ण जानकारियाँ और प्रक्रियाएं** (18%)। प्रत्येक डोमेन के भारांक का निर्धारण इसके महत्व के आधार पर किया गया है।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को एक **स्वतंत्र प्रमाणन एजेंसी (Independent Validation Agency) द्वारा सत्यापित** किया जाता है।
- रिपोर्ट में एक समान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य समानता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों और UTs को **बड़े राज्य, छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों** की **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा राज्यवार स्वास्थ्य रैंकिंग पर पहली बार वर्ष **2018 में रिपोर्ट** जारी की गयी थी।
- इसकी **द्वितीय रिपोर्ट,** वर्ष 2015-16 (आधार वर्ष) से वर्ष 2017-18 (संदर्भ वर्ष) की अवधि अर्थात्, दो वर्ष की अवधि के प्रदर्शन की जांच करती है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- **स्वास्थ्य सूचकांक में समग्र स्थिति का चित्रण:** वर्ष 2015-16 और वर्ष 2017-18 के मध्य केवल आधे राज्यों और UTs के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है। अपेक्षाकृत बड़े और छोटे राज्यों की तुलना में UTs के प्रदर्शन में अधिक सुधार दर्ज किया गया है।
- **बड़े राज्य:** समग्र प्रदर्शन के मामले में **केरल, आंध्र प्रदेश** और **महाराष्ट्र** शीर्ष पर हैं, जबकि **हरियाणा, राजस्थान** और **झारखंड** वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन (annual incremental performance) के मामले में शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्य हैं।
- **छोटे राज्य: मिज़ोरम** और **मणिपुर** समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष पर हैं, जबकि **त्रिपुरा** और **मणिपुर** वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष रैंक वाले राज्य हैं।

- **UTs: चंडीगढ़** तथा **दादर और नागर हवेली** को समग्र प्रदर्शन (चंडीगढ़- 1 तथा दादरा और नगर हवेली- 2) के साथ-साथ वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन (दादरा और नगर हवेली- 1 तथा चंडीगढ़- 2) के मामले में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है।
- **पांच एम्पॉवर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स का प्रदर्शन:** बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में समग्र स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर में कमी दर्ज की गई है।
- **समग्र प्रदर्शन में व्यापक असमानता:** सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रदत्त अंक सर्वाधिक निम्नस्तरीय प्रदर्शन करने वाले राज्यों की तुलना में 2.5 गुना अधिक है, जैसे- केरल को प्राप्त 74.01 के स्कोर की तुलना उत्तर प्रदेश का स्कोर 28.61 रहा।
- प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के आधार पर किए गए मापन के अनुसार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के **स्वास्थ्य सूचकांक स्कोर** तथा **आर्थिक विकास के स्तर** के मध्य एक सामान्य **सकारात्मक संबंध** विद्यमान था।

एम्पॉवर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स

- सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे आठ राज्यों की जनसंख्या को स्थिर करने हेतु (2001 की जनगणना रिपोर्ट का संदर्भ लेते हुए) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक सशक्त कार्रवाई समूह (EAG) का गठन किया है।
- इन राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा शामिल हैं।

4.6. WHO इंडिया कंट्री सहयोग रणनीति

(WHO India Country Cooperation Strategy: CCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **"WHO इंडिया कंट्री सहयोग रणनीति 2019-2023: परिवर्तन का समय"** {The WHO India Country Cooperation Strategy (CCS) 2019-2023: A Time of Transition} का सार्वजनिक डोमेन में शुभारंभ किया।

पृष्ठभूमि

- यह रणनीति {अर्थात् WHO इंडिया CCS 2019-2023}, WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है।
  - यह WHO को भारत सरकार के साथ अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने हेतु एक रोडमैप प्रदान करता है।
  - CCS में उल्लिखित प्राथमिकताओं और गतिविधियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ संरेखित किया गया है।
- **इंडिया CCS** प्रथम पहल है, जो पूर्णत: हाल ही में अंगीकृत WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क और इसके 'ट्रिपल बिलियन' टारगेट के अनुरूप है।

WHO इंडिया CCS के प्रमुख बिंदु

यह CCS वर्ष 2019-2023 की पांच वर्ष की अवधि को कवर करता है तथा यह व्यापक रणनीतिक प्राथमिकताओं और इसी के अनुरूप फोकस कार्यक्रम क्षेत्रों को निर्धारित करता है।

- यह कार्रवाई के लिए निम्नलिखित **चार रणनीतिक प्राथमिकताओं** को रेखांकित करता है:
  - सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के क्षेत्र में प्रगति को तीव्र करना;
  - स्वास्थ्य के निर्धारकों को संबोधित करके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा प्रदान करना;
  - स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति लोगों की बेहतर सुरक्षा; एवं
  - स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation: WHO)

- इसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
- WHO संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है।
- WHO में वर्तमान में 194 सदस्य देश सम्मिलित हैं, जिनमें से सभी {कुक आइलैंड्स और निउए (Niue) के अतिरिक्त} संयुक्त

VISION IAS

राष्ट्र के सदस्य देश हैं।

- WHO को इसके सदस्य राष्ट्रों और बाहरी दानदाताओं से वित्तपोषण प्राप्त होता है।
- विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA), WHO का विधायी और सर्वोच्च निकाय है। इसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है और यह WHO के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करता है। इसके द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में महानिदेशक की नियुक्ति भी की जाती है।
- **WHO द्वारा निम्नलिखित का प्रकाशन किया जाता है:** विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट (World Health Report), विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी (World Health Statistics), विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिन (Bulletin of the World Health Organization) आदि।
- भारत वर्ष 1948 में WHO का पक्षकार बना।
- **WHO का 13वाँ जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क (GPW-13):** इसे वर्ष 2018 में सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। इसमें WHO ने **"ट्रिपल बिलियन" टारगेट** को प्रस्तुत किया।
    - एक अरब और अधिक लोग सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) से लाभान्वित होंगे;
    - एक अरब और अधिक लोग स्वास्थ्य आपात स्थितियों से बेहतर रूप से संरक्षित होंगे; तथा
    - एक अरब और अधिक लोग बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण से लाभान्वित होंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA)

- हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) का 72वां सत्र जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित हुआ था।
- WHA विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्णय-निर्माणकारी निकाय है, जिसमें WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
    - **प्रमुख कार्य:** संगठन की नीतियों का निर्धारण, महानिदेशक की नियुक्ति, वित्तीय नीतियों का सर्वेक्षण और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन।

WHA के 72वें सत्र के दौरान अंगीकृत महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की भूमिका को मान्यता प्रदान की गई तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वर्ष 2018 के विश्व सम्मेलन में अपनाए गए **अस्ताना घोषणा-पत्र** के प्रवर्तन हेतु सक्षम उपायों के क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों से आग्रह किया गया।
    - **अस्ताना घोषणा-पत्र:** यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने हेतु एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। यह घोषणा-पत्र **वर्ष 1978** की ऐतिहासिक **अल्मा-अता (Alma-Ata) घोषणा-पत्र** की पुनर्पुष्टि करता है।
    - **अल्मा-अता घोषणा-पत्र:** यह प्रथम घोषणा-पत्र था जिसने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना था।
- सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव में सदस्य देशों से निर्धन, सुभेद्य एवं हाशिए पर रहे लोगों व समूहों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ UHC की ओर प्रगति को तीव्र करने का निवेदन किया गया।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage: UHC) पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक:

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UHC पर एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
- UHC पर संयुक्त राष्ट्र संघ की यह प्रथम उच्च-स्तरीय बैठक है।
- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक UHC प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को त्वरित करने हेतु वैश्विक समुदाय को एकजुट करना तथा

VISION IAS

राज्याध्यक्षों एवं सरकारों की राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है।

- **सतत विकास लक्ष्य हेतु एजेंडा 2030** के भाग के रूप में, सभी देश वर्ष 2030 तक UHC प्राप्त करने के प्रयास हेतु प्रतिबद्ध हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 {National Health Policy (NHP), 2017}

NHP, 2017 के तहत निर्धारित लक्ष्य

- वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।
- वर्ष 2019 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तक करना।
- वर्ष 2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को कम करके 23 तक करना।
- वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर कुल प्रजनन दर को कम कर 2.1 करना।
- वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर (MMR) को वर्तमान स्तर से घटाकर 100 पर लाना।
- वर्ष 2025 तक नवजात (neo-natal) मृत्यु दर को कम करके 16 और स्टीलबर्थ (मृत जन्मा बच्चा) दर को "इकाई अंक" तक लाना।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को वर्तमान में GDP के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को सुदृढ़ करना। राज्यों को वर्ष 2020 तक अपने बजट का 8 प्रतिशत या उससे अधिक स्वास्थ्य पर व्यय करना चाहिए।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मेडिसिन की प्रणालियों में क्रॉस रेफरल, को-लोकेशन और इन्टीग्रेरटिव प्रैक्टिसेज को शामिल करके त्रि-अयामी एकीकरण द्वारा आयुष प्रणालियों को मुख्यधारा में लाना।
- निम्नलिखित के माध्यम से सभी के लिए वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना:
  - दवाओं और निदान, आपातकालीन एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) सेवाओं के लिए प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना।
  - सार्वजनिक अस्पतालों के संयोजन के माध्यम से द्वितीयक तथा तृतीयक देखभाल सेवाएं तथा स्वास्थ्य देखभाल की कमी वाले क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं से रणनीतिक खरीद।
  - सभी राज्यों में जन-स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग स्थापित करना।

नवीन NHP में चिन्हित परिवर्तन (Shifts seen in new policy)

- **संचारी से गैर-संचारी रोगों की ओर:** इसमें प्री-स्क्रीनिंग का प्रावधान किया गया है और **वर्ष 2025** तक गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases: NCDs) के कारण होने वाली समय पूर्व मृत्यु को **25 प्रतिशत** तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **निजी क्षेत्र का सहयोग और उसका विनियमन, जिसके उद्देश्य हैं:**
  - मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित करने के लिए **"नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडडर्स ऑर्गेनाइजेशन" (NHCSO)** की स्थापना।
  - शिकायतों के निवारण हेतु **अधिकरण।**
- **रोगी की देखभाल से उत्तम स्वास्थ्य की ओर:**
  - अर्ली-स्क्रीनिंग और निदान को एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व बना दिया गया है।
  - स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य व स्वच्छता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य का सर्वोत्कृष्ट

VISION IAS

स्तर प्राप्त करने के लिए प्राथमिक देखभाल (pre-emptive care) के प्रति प्रतिबद्धता।

- यह नीति स्वास्थ्य बजट के दो तिहाई भाग या इससे अधिक को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय करने का समर्थन करती है।
- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आश्वासन।

- **शहरी हेल्थकेयर:** निर्धन आबादी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए और वायु प्रदूषण, वाहक नियंत्रण, हिंसा व शहरी तनाव में कमी करने सहित स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों के मध्य अभिसरण कर शहरी आबादी की प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित किए जाने को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

5. पोषण और स्वच्छता

(Nutrition and Sanitation)

5.1. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019

(Global Hunger Index 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2019 जारी किया गया।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्र स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने एवं ट्रैक करने के लिए तैयार किया गया एक उपकरण है।
- उच्च आय वाले देशों को GHI में शामिल नहीं किया जाता है।
- GHI को वर्ष 2000 के बाद से **वेल्थंगरहिल्फे (Welthungerhilfe)** (हाल ही में कंसर्न वर्ल्डवाइड के साथ साझेदारी में) द्वारा जारी किया जाता है।
- GHI के तहत विभिन्न राष्ट्रों को 100 अंकों के पैमाने पर रैंक प्रदान की जाती है, जिसमें "0" स्कोर को सबसे अच्छा (हंगर की अनुपस्थिति) है और "100" स्कोर को सबसे खराब माना जाता है। हालांकि, कोई भी राष्ट्र इन चरम वास्तविकताओं की श्रेणी में शामिल नहीं है।

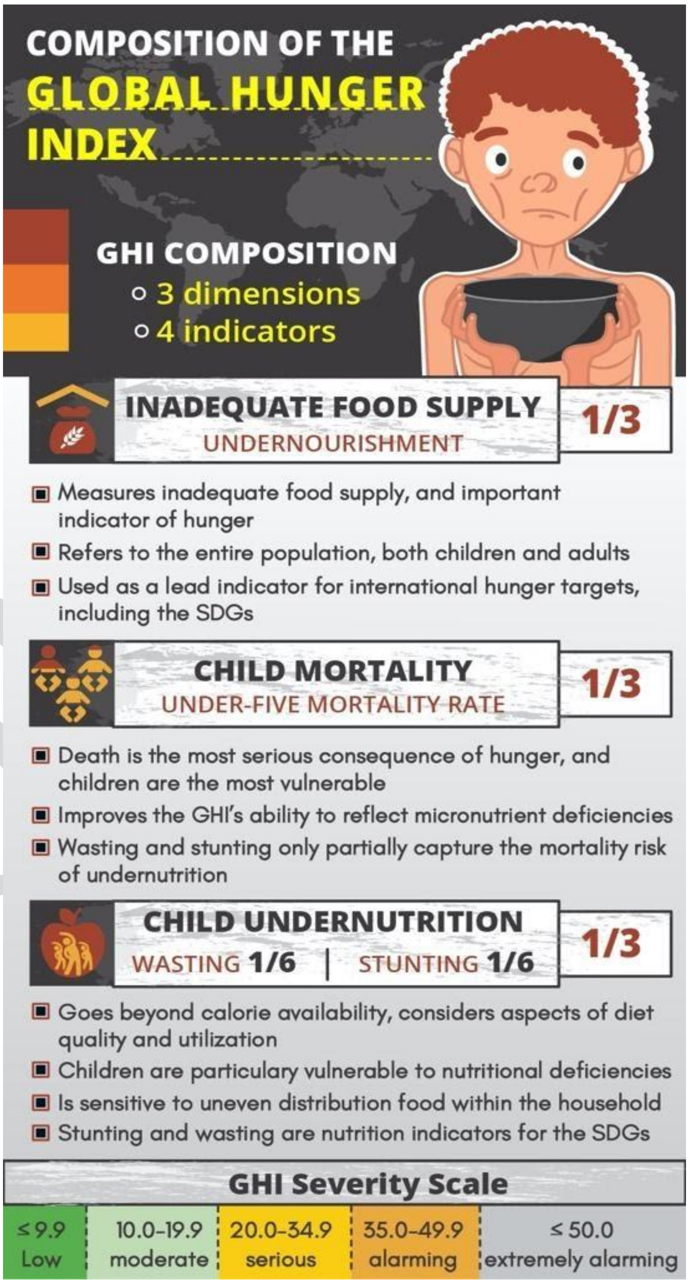

प्रमुख निष्कर्ष

- **ग्लोबल हंगर गंभीर (Serious) से मध्यम (Moderate) स्तर की ओर बढ़ रहा है:** यह स्कोर वर्ष 2000 के बाद से 31 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2000 में वैश्विक GHI स्कोर 29.0 था और यह गंभीर श्रेणी में सम्मिलित था।
- **दक्षिण एशिया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित अफ्रीकी राष्ट्रों में उच्चतम:** दक्षिण एशिया और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में अवस्थित अफ्रीकी राष्ट्रों का वर्ष 2019 का GHI स्कोर (उच्चतम) क्रमशः 29.3 और 28.4 है, जो भूख के गंभीर स्तरों का संकेत देते हैं।
- **राष्ट्रों के भीतर असमानता:** राष्ट्र की सीमाओं के भीतर असमानताओं के कारण भूख और कुपोषण उन देशों में भी बना हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत के अनुसार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- **जलवायु परिवर्तन जनित खतरा:** उच्च GHI स्कोर वाले राष्ट्र प्रायः जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के प्रति इनकी अनुकूलन क्षमता सबसे कम होती है; जबकि निम्न GHI स्कोर वाले कई राष्ट्र सबसे कम सुभेद्य और सर्वाधिक तैयार हैं।

GHI और भारत

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) पर भारत वर्ष 2010 के 95वें स्थान से वर्ष 2019 में 102वें स्थान पर आ गया है।

- भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सुधार हुआ है।
- भारत में बच्चों में दुबलापन की दर (child wasting rate) विश्व में किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में अत्यधिक उच्च (20.8 प्रतिशत) है। भारत में बच्चों में ठिगनेपन की दर (child stunting rate) 37.9 प्रतिशत है और इसे अत्यंत उच्च श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- भारत में, 6 से 23 माह के सभी बच्चों में से केवल 9.6 प्रतिशत बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त होता है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि "स्वच्छ भारत" अभियान के बावजूद खुले में शौच की प्रथा अभी भी जारी है। यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है और फलस्वरूप बच्चों की वृद्धि एवं विकास के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे पोषक तत्वों को ग्रहण करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **दुबलापन (Wasting):** लम्बाई की तुलना में कम वजन होना, यह गंभीर कुपोषण को प्रदर्शित करता है।
- **ठिगनापन (Stunting):** आयु के सापेक्ष लंबाई का कम होना, यह दीर्घस्थायी कुपोषण को प्रदर्शित करता है।

5.2. विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति, 2019

(State of Food Security and Nutrition in the World, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा **"विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति - 2019"** रिपोर्ट जारी की गई।

विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति के बारे में

- इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development: IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UN Children's Fund: UNICEF), विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization: WHO) द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि दशकों तक हंगर (भूख) में कमी होने के पश्चात्, इसमें **पुनः वृद्धि** हो रही है।
- एशिया में, विगत पांच वर्षों में अत्यधिक प्रगति के बावजूद, **दक्षिणी-एशिया सबसे बड़ा उप-क्षेत्र है, जहाँ लगभग 15% अल्पपोषण की समस्या** विद्यमान है।
- उच्च आय वाले देशों में भी, आबादी के बड़े हिस्से में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की नियमित उपलब्धता का अभाव है।
- वैश्विक स्तर पर, **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन (stunting) की व्यापकता में कमी आयी है।**
- वैश्विक स्तर पर, पाँच वर्ष से कम आयु के **7.3 प्रतिशत (49.5 मिलियन) बच्चे दुबलेपन (Wasting) की समस्या से ग्रसित हैं,** जिनमें से दो-तिहाई एशिया में निवास करते हैं।
- लगभग सभी देशों में **अधिक वजन और मोटापे** की समस्या में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर 4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है।
- **लैटिन अमेरिका में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं के खाद्य असुरक्षा** से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है।

खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization: FAO)

- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जो सर्वत्र व्याप्त भुखमरी को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करती है।
- इन प्रयासों का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सक्रिय व स्वस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु पर्याप्त उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन तक नियमित पहुंच प्राप्त हो सके।

VISION IAS

- **भारत** इसका एक सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund for Agricultural Development: IFAD)

- यह एक **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था** है और यह **इटली की राजधानी रोम** में स्थित **संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी** है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और भुखमरी के निवारणार्थ कार्य करती है।
- यह वर्ष **1974 में संपन्न "विश्व खाद्य सम्मेलन"** के प्रमुख आउटकम्स (परिणामों) में से एक है और इसे वर्ष **1977** में स्थापित किया गया था।
- **भारत** इसका एक सदस्य है।

अन्य संबंधित तथ्य

व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (Comprehensive National Nutrition Survey)

- फरवरी 2016 और अक्टूबर 2018 के मध्य **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** तथा **यूनिसेफ** (UNICEF) द्वारा व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण संचालित किया गया था।
- यह **कुपोषण को मापने हेतु** किया गया प्रथम अध्ययन था, जिसमें जैव-रासायनिक उपायों जैसे कि रक्त एवं मूत्र के नमूनों, **मानव शरीर के माप संबंधी डेटा** तथा साथ ही मधुमेह जैसे **गैर-संचारी रोगों के विवरण** के माध्यम से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि को शामिल किया गया।

'फीड आवर फ़्यूचर' अभियान

- संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने भारत में जागरूकता सृजित करने और भुखमरी तथा कुपोषण के विरुद्ध कदम उठाने के लिए 'फीड आवर फ़्यूचर' नामक एक सिनेमा आधारित विज्ञापन अभियान प्रारंभ किया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सहायता शाखा है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गयी थी और यह संपूर्ण विश्व से भुखमरी को समाप्त करने के अभियान में संलग्न एवं खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन है।
- इसका मुख्यालय **रोम (इटली)** में स्थित है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र विकास समूह** का सदस्य और इसकी कार्यकारी समिति का भाग है।
- WFP के अभियानों को सदस्य देशों, निगमों और निजी दाताओं के स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

5.3. ईट राइट इंडिया अभियान

(Eat Right India Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 'इट राइट इंडिया अभियान' को इसके नए लोगो और टैगलाइन **'सही भोजन, बेहतर जीवन'** के साथ प्रारम्भ किया गया है।

ईट राइट इंडिया अभियान के बारे में

- जीवन शैली से संबद्ध रोगों के नियंत्रण हेतु भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और पोषण संबंधी नकारात्मक प्रवृत्तियों से निपटने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा वर्ष 2018 में **"ईट राइट"** अभियान का शुभारंभ किया गया था।
- नमक, चीनी व वसा के दैनिक सेवन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने, ट्रांस फैट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने हेतु यह एक बहु-क्षेत्रीय प्रयास है।
- यह **'स्वस्थ खाओ'** और **'सुरक्षित खाओ'** के दो व्यापक स्तंभों पर आधारित है।
- इसमें नागरिकों पर लक्षित मौजूदा FSSAI की तीन पहलों को एक साथ सम्मिलित किया गया है:
  - **सुरक्षित और पौष्टिक आहार पहल {The Safe and Nutritious Food (SNF) Initiative}:** यह घर, स्कूल, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान खाद्य सुरक्षा तथा पोषण से संबंधित सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तनों पर केंद्रित है।

  - **ईट हेल्दी कैंपेन** में नमक, चीनी, वसा के दैनिक सेवन तथा ट्रांस-फैट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - **फ़ूड फोर्टीफिकेशन** के अंतर्गत पोषण सामग्री में सुधार करने हेतु प्रमुख विटामिन और खनिजों से युक्त पांच मुख्य खाद्य पदार्थों, यथा- गेहूं का आटा, चावल, तेल, दुग्ध तथा नमक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ईट राइट अभियान, **माँग और आपूर्ति दोनों पक्षों के हितधारकों** को एक साथ एक मंच प्रदान करता है।
- **मांग पक्ष:** ईट राइट अभियान, सही/उचित भोजन चयन के लिए नागरिकों को सशक्त कर रहा है।
- **आपूर्ति पक्ष:** यह खाद्य उत्पादकों को अपने उत्पादों में सुधार करने, उपभोक्ताओं को बेहतर पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करने तथा उत्तरदायी खाद्य व्यवसायों के रूप में स्वस्थ खाद्य पदार्थों में निवेश करके हेतु प्रेरित करता है।

अतिरिक्त जानकारी

भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI)

- FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक स्वायत्त निकाय है
- FSSAI की स्थापना **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत की गई है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक एकीकृत क़ानून है।
- FSSAI खाद्य सुरक्षा के **विनियमन और पर्यवेक्षण के माध्यम** से **सार्वजनिक स्वास्थ्य** की रक्षा और उसे बढ़ावा देने हेतु उत्तरदायी है।

खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण के लिए वैज्ञानिक सहयोग नेटवर्क (Network for Scientific Co-operation for Food Safety and Applied Nutrition: NetSCoFAN)

- इसे FSSAI द्वारा निर्मित किया गया है।
- यह खाद्य और पोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थानों का एक नेटवर्क है।
- NetSCoFAN के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले संस्थानों के **आठ समूह** शामिल हैं। इन क्षेत्रों में प्रमुख हैं: जीव विज्ञान, रसायन, पोषण एवं लेबलिंग, पशुओं से प्राप्त भोजन, पादपों से प्राप्त भोजन, जल व अन्य पेय पदार्थ, भोजन की जांच तथा सुरक्षित और संधारणीय पैकेजिंग आदि।
  - यह संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान अंतरालों की पहचान करेगा तथा जोखिम मूल्यांकन गतिविधियों के लिए खाद्य सुरक्षा के मामलों पर डेटा एकत्र व समानुक्रमित करेगा और डेटाबेस को विकसित करेगा।

5.4. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020

(Swachh Survekshan League 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत **स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020** का शुभारंभ किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह भारत के शहरों और कस्बों का एक तिमाही स्वच्छता आकलन है तथा इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (इस क्रम में 5वां संस्करण) के साथ एकीकृत किया गया है।
- **उद्देश्य:** इसकी शुरुआत स्वच्छता के संदर्भ में सेवा स्तर प्रदर्शन के आधार पर शहरों की निरंतर निगरानी के साथ ज़मीनी स्तर पर उनके प्रदर्शन को बनाए रखने में सहायता के प्रयोजनार्थ की गई है।
- **रैंकिंग:** शहरों के रैंकिंग की दो श्रेणियां निर्दिष्ट की गई हैं, यथा- 1 लाख एवं इससे अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर।

- **महत्व:** जनवरी 2020 के वार्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित किए जाने वाले तिमाही आकलन के 25 प्रतिशत भारांश के कारण **स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) लीग 2020** में शहरों के प्रदर्शन **स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उनकी रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।**

स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में

- स्वच्छ सर्वेक्षण एक रैंकिंग पद्धति है, जिसके अंतर्गत **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों** का उनके स्वच्छता के स्तरों और समयबद्ध तथा अभिनव प्रकार से स्वच्छता मिशन पहलों के सक्रिय कार्यान्वयन के लिए मूल्यांकन किया जाता है।
- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वृहद पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कस्बों एवं शहरों को रहने योग्य एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में एक साथ कार्य करने के महत्व के विषय में समाज के सभी वर्गों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना है।
- इसके अतिरिक्त, यह सर्वेक्षण कस्बों और शहरों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करता है, ताकि स्वच्छ शहरों और कस्बों के निर्माण की दिशा में नागरिकों के लिए उनकी सेवा आपूर्ति में सुधार किया जा सके।
- **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में** और **जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण** का क्रियान्वयन किया जाता है।
- इसका मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** पर है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)

- इसे भारत सरकार और भारतीय उद्योग {तीन प्रमुख उद्योग संघों, यथा- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम/ASSOCHAM); भारतीय उद्योग परिसंघ (CII); और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की/FICCI)} द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना को स्थापित और संचालित करना तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ **38 सदस्यों** की परिषद द्वारा शासित होती है।
- QCI के **अध्यक्ष** को उद्योग द्वारा सरकार को प्रदत्त अनुशंसाओं के आधार पर **प्रधान मंत्री** द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** QCI के लिए नोडल मंत्रालय है।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार, 2019

- शीर्ष तीन राज्य **तमिलनाडु, हरियाणा** और **गुजरात** हैं।
    - **शीर्ष 3 जिले:** 1) पेद्दापल्ली (तेलंगाना), 2) फरीदाबाद (हरियाणा), 3) रेवाड़ी (हरियाणा) हैं।
    - उत्तर प्रदेश, अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य है।
- **मापदंडों के इन विभिन्न समुच्चयों को निम्नलिखित भारांश प्रदान किए गए हैं:**
    - **30 प्रतिशत भारांश:** शोधकर्ताओं द्वारा **प्रत्यक्ष निरीक्षण,** जिसमें वे शौचालयों की उपलब्धता और उपयोग, जल भराव एवं प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थिति की जांच करते हैं।
    - **35 प्रतिशत:** समूह की बैठकों के दौरान एवं प्रमुख प्रभावकों (key influencers) तथा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त नागरिक प्रतिक्रिया।
    - **35 प्रतिशत:** सेवा स्तर पर प्रगति।

VISION IAS

अतिरिक्त जानकारी

स्वच्छ - निर्मल तट अभियान

- **शुभारंभ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** द्वारा।
- यह 11-17 नवंबर 2019 के मध्य **50 चिन्हित समुद्र तटों** पर नेशनल ग्रीन कॉर्प्स (NGC- इको-क्लब) के सहयोग से संचालित किया गया एक **व्यापक स्वच्छता-सह-जागरूकता अभियान** था।
- इसके अंतर्गत चिन्हित किए गए समुद्र तट 10 तटीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (UTs), यथा- गुजरात, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अवस्थित हैं।
- MoEF&CC के NGC कार्यक्रम का उद्देश्य NGC के सदस्यों के रूप में पंजीकृत स्कूलों में स्थापित इको-क्लबों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास हेतु कार्य करने वाले युवा बच्चों के संवर्ग का निर्माण करना है।

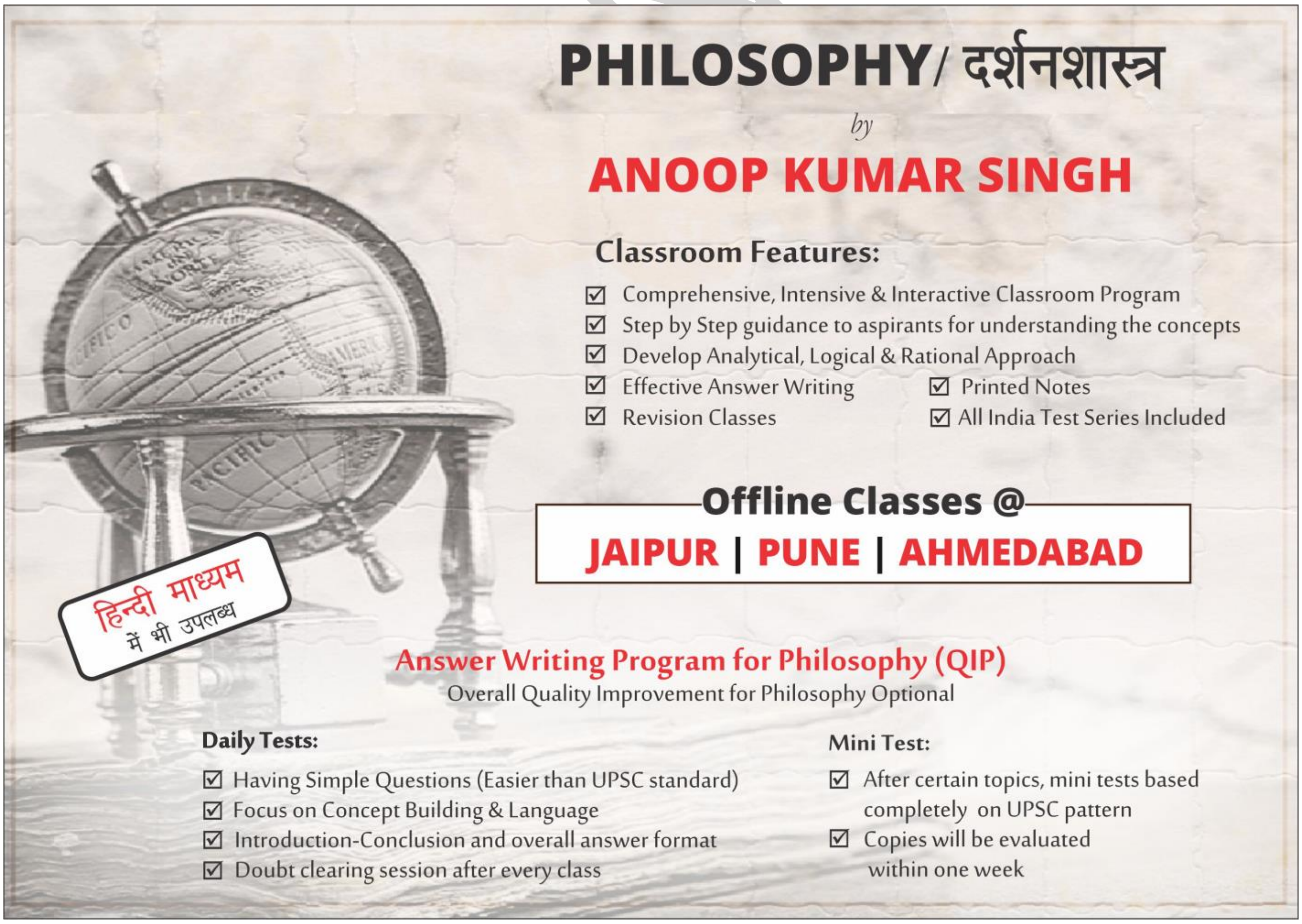

6. विविध

(Miscellaneous)

6.1. मानव विकास रिपोर्ट, 2019

(Human Development Report 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **"आय से परे, औसत से परे, वर्तमान से परे: 21वीं शताब्दी में मानव विकास में असमानताएं"** (Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century) नामक शीर्षक से **मानव विकास रिपोर्ट, 2019** जारी की गई।

मानव विकास रिपोर्ट के बारे में

- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** द्वारा वर्ष 1990 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी।
- मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष निम्नलिखित पांच समग्र सूचकांक जारी किए जाते हैं, यथा- **मानव विकास सूचकांक (HDI), असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI), लैंगिक विकास सूचकांक (GDI), लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)** और **बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)।**
- मानव विकास सूचकांक (HDI) को मानव विकास रिपोर्ट के एक भाग के रूप में जारी किया जाता है। यह सभी देशों में मानव विकास के आधारभूत आयामों से संबंधित उपलब्धियों का मापन करता है। HDI निम्नलिखित **तीन मापदंडों** के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है:
  - जीवन प्रत्याशा;
  - शिक्षा; तथा
  - प्रति व्यक्ति आय।

भारत के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2019 के HDI में **189 देशों में भारत का स्थान 129वां** है। यह विगत वर्ष (130वां स्थान) से एक स्थान के सुधार को दर्शाता है।
- भारत में, वर्ष 1990 से वर्ष 2018 के मध्य, **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष में 3.5 वर्ष** और **स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष में 4.7 वर्ष** की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- **लैंगिक विकास सूचकांक** के स्तर पर **भारत** दक्षिण एशियाई देशों के औसत (0.829 बनाम 0.828) से केवल आंशिक रूप से ही बेहतर स्थिति में है और वर्ष 2018 के लैंगिक असमानता सूचकांक में **162 देशों में भारत का स्थान काफी निम्न अर्थात् 122वां रहा।**

6.2. सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, 2019

(SDG India Index 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा **"सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक"** का द्वितीय संस्करण जारी किया गया।

SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में

- **नीति आयोग** ने **'सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)', ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट** और **संयुक्त राष्ट्र संघ** के सहयोग से **SDG इंडिया इंडेक्स** को विकसित किया है।

VISION IAS

- यह **वर्ष 2030 तक SDG लक्ष्यों** को प्राप्त करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की जाने वाली प्रगति का व्यापक रूप से प्रलेखन करता है।
- यह लक्षित **नीतिगत संवाद, नीति निर्माण और कार्यान्वयन** के साधन के रूप में कार्य करता है तथा वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मापन पद्धतियों से संलग्न विकासात्मक कार्रवाई की दिशा में कार्य कर रहा है।
- यह SDGs की निगरानी से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरालों और राष्ट्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करने में सहायता करता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुपालन का मापन करने हेतु **232 संकेतक** विकसित किए हैं जबकि नीति आयोग ने इस सूचकांक हेतु **100 संकेतकों** के साथ भारतीय संदर्भ के अनुकूल निगरानी दृष्टिकोण को अपनाया है। ज्ञातव्य है कि ये संकेतक MoSPI के **राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (National Indicator Framework: NIF)** से ग्रहण किए गए हैं।
    - NIF में SDGs की प्रगति की निगरानी करने के लिए **306 संकेतकों को समाविष्ट** किया गया है।
- SDG इंडिया इंडेक्स 2019, अपने प्रथम संस्करण की तुलना में अधिक सुदृढ़ है, क्योंकि इस संस्करण में **लक्ष्य 17** पर गुणात्मक मूल्यांकन के साथ **17 SDGs में से 16 SDGs** को शामिल किया गया है, जबकि वर्ष 2018 के सूचकांक में केवल 13 लक्ष्य सम्मिलित थे।
- इन 16 SDGs में समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए **0-100** की परास में कुल अंकों की गणना की गई है।
- किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्राप्त उच्च प्राप्तांक, उसके द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की निकटता को दर्शाता है।
- SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर वर्गीकरण मानदंड निम्नलिखित हैं: **आकांक्षी (Aspirant):** 0-49; **बेहतर प्रदर्शन (Performer):** 50-64; **अग्रणी (Front Runner):** 65-99; और **लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever):** 100

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2018 के **57 से बढ़कर वर्ष 2019 में 60** हो गया है। सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या तो बेहतर प्रदर्शन श्रेणी (Performer) में या अग्रणी श्रेणी (Front Runner) में स्थित हैं।
- 70 और 69 प्राप्तांकों के साथ **केरल** और **हिमाचल प्रदेश** को क्रमशः **प्रथम** और **द्वितीय** स्थान प्राप्त हुआ है।
- 50 प्राप्तांक के साथ **बिहार** सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है।
- वर्ष 2018 की तुलना में सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाले राज्य **उत्तर प्रदेश, ओडिशा** और **सिक्किम** हैं।
- अधिकतम प्रगति **लक्ष्य 6** (स्वच्छ जल और सैनिटेशन), **7** (उद्योग, नवाचार एवं आधारभूत संरचना) तथा **9** (वहनीय व स्वच्छ ऊर्जा) के संदर्भ में हुई है।
- चूंकि, भारत में पोषण और लैंगिक समानता संबंधी मुद्दे विद्यमान हैं, अतः इनके लिए सरकार द्वारा अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।
- 'आकांक्षी' (Aspirant) श्रेणी के सभी तीन राज्य, यथा- उत्तर प्रदेश, बिहार और असम अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए 'बेहतर प्रदर्शन' (Performer) करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।
- पांच राज्य, यथा- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम 'बेहतर प्रदर्शन' (Performer) श्रेणी से 'अग्रणी' (Front Runner) वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।

6.3. जनसंख्या शोध केंद्र

(Population Research Centres: PRCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या शोध केंद्रों (PRCs) के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

VISION IAS

जनसंख्या शोध केंद्रों (PRCs) के बारे में

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 18 जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो 17 बड़े राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अवस्थित हैं।
- PRCs स्वायत्त प्रकृति के होते हैं, जो अपने मेजबान विश्वविद्यालय/संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं।
- **PRCs के प्रकार्य:**
  - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर चल रही योजनाओं हेतु **योजना निर्माण, रणनीतिक उपाय एवं नीतिगत हस्तक्षेपों** के लिए इन शोध अध्ययनों से प्राप्त फीडबैक का लाभ उठाते हुए परिवार नियोजन, जनांकिकीय अनुसंधान तथा जनसंख्या नियंत्रण के जैविक अध्ययन एवं गुणात्मक पहलू आदि से संबंधित शोध परियोजनाओं को आरम्भ करना।
  - यह मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य अध्ययन कार्यों में संलग्न है, जैसे- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2008-09 के दौरान देश भर में आयोजित किए गए NRHM का समवर्ती मूल्यांकन करना तथा मंत्रालय के वृहत स्तरीय नमूना सर्वेक्षण के कार्यों को संपादित करना, यथा- जिला स्तरीय हाउसहोल्ड सर्वेक्षण (DLHS), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) और लोंगिट्युडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI)।
- इन्हें प्रति वर्ष अनुदान के रुप में 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.4. नए खाद्य पैकेजिंग मानदंड

(New Food Packaging Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, FSSAI ने खाद्य पैकेजिंग मानदंडों को अद्यतित किया है।

विवरण

- **खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011** के अंतर्गत शामिल खाद्य पैकेजिंग पर नए दिशा-निर्देश जुलाई 2019 में लागू हुए।
- नए मानदंडों का अनुपालन सभी खाद्य व्यवसायों द्वारा किया जाएगा।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों की प्रत्यक्ष पैकेजिंग के लिए अखबारों, पुनः चक्रित कागज, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक शीट/पुनः चक्रित प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इन दिशा-निर्देशों में अखबारी स्याही और डाई के कैंसरजनक प्रभाव को ध्यान में रखा गया है।
- इसमें खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर प्रयोग की जाने वाली स्याही के लिए **विशिष्ट भारतीय मानक शामिल** हैं। नियमों से सम्बंधित अनुसूची IV विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए सुझाए गए पैकेजिंग सामग्रियों की एक सूची है।
- इसके द्वारा इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि-
  - पैकेजिंग, विनिर्माण, भंडारण, रैपिंग, परिवहन, बिक्री आदि हेतु प्रयुक्त कोई भी सामग्री जो खाद्य पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है अथवा जिसके खाद्य पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने की संभावना है, वह फ़ूड ग्रेड क्वालिटी की होगी।
  - खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए **टिन के कंटेनरों को एक बार उपयोग करने के पश्चात् उनका पुन: उपयोग नहीं किया जाएगा।**
  - ये विनियमन यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि कागज और पेपरबोर्ड सामग्री; धातुओं और मिश्र धातुओं; तथा प्लास्टिक सामग्री के रूप में **खाद्य पैकेजिंग सामग्री को अब क्रमशः** अनुसूची I, अनुसूची II और अनुसूची III में सूचीबद्ध **भारतीय मानकों** के अनुरूप होना चाहिए। पहले, इन मानकों का अनुपालन स्वैच्छिक था।

VISION IAS

- **इनमें पैकेजिंग सामग्री के लिए सामान्य और विशिष्ट, दोनों प्रकार की आवश्यकताएं शामिल हैं।** विशेष रूप से, ये प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री में कुछ दूषित पदार्थों के लिए विशिष्ट माइग्रेशन लिमिट (किसी तत्व की वह अधिकतम अनुमत मात्रा जो पैकेजिंग सामग्री या कंटेनर से खाद्य पदार्थ में प्रवेश कर सकती है) और 60 मिलीग्राम/किग्रा या 10 मिलीग्राम/dm^2 की समग्र माइग्रेशन लिमिट निर्धारित करते हैं।
    - प्लास्टिक सामग्री और वस्तुएं निर्धारित आवागमन में एक निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में पदार्थों का स्राव नहीं करेंगे।
    - प्लास्टिक जब खाद्य पदार्थों के संपर्क में आता है तो उसमें से विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व स्रावित होते हैं, जिसमें बेरियम, कोबाल्ट, तांबा, लोहा, लीथियम, मैंगनीज और जस्ता शामिल हैं।

6.5. रिपोर्ट और सूचकांक

(Reports and Indexes)

वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020	• जारीकर्ता: **इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM)** • **प्रमुख निष्कर्ष:** ○ वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 270 मिलियन अनुमानित है और लगभग 51 मिलियन प्रवासियों के साथ अमेरिका शीर्ष गंतव्य स्थल है। ○ **भारत** 17.5 मिलियन प्रवासियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश बना हुआ है, इसके उपरांत क्रमश: **मैक्सिको और चीन** का स्थान है। ○ शीर्ष तीन विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश: **भारत** (78.6 बिलियन डॉलर) और उसके पश्चात् **चीन एवं मैक्सिको** हैं। • **IOM के बारे में** ○ वर्ष 1951 में स्थापित, IOM प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर-सरकारी संगठन है तथा यह सरकारी, अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता है। **भारत इसके 173 सदस्यों में से एक है।**
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स	• यह एक **वार्षिक सूचकांक** है, जो वैश्विक शहरों को उनकी आवास सुविधा के अनुसार रैंक प्रदान करता है। • इस सूचकांक को **इकोनॉमिस्ट्स इंटेलिजेंस यूनिट** द्वारा जारी किया जाता है। • यह **पाँच व्यापक श्रेणियों**, यथा- **स्थिरता** (25 प्रतिशत), **स्वास्थ्य देखभाल** (20 प्रतिशत), **संस्कृति और पर्यावरण** (25 प्रतिशत), **शिक्षा** (10 प्रतिशत) तथा **अवसंरचना** (20 प्रतिशत) को शामिल करने वाले **30 संकेतकों** पर आधारित है। • **नई दिल्ली और मुंबई** ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, 2019 में 140 शहरों में से क्रमशः 118वें और 119वें स्थान पर रहे। ○ वर्ष 2018 के सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई क्रमशः 112वें और 117वें स्थान पर थे। • **वियना** ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, 2019 में विश्व के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर (world's most liveable city) के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।

VISION IAS

ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स (वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक)	• **जारीकर्ता: विश्व आर्थिक मंच** (WEF)
	• इसे नीति-निर्माताओं को सामाजिक गतिशीलता में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से साझा अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित किया गया है।
	• WEF का ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित पांच प्रमुख आयामों में विस्तारित **"10 आधारों" पर 82 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है:**
	  ○ स्वास्थ्य;
	  ○ शिक्षा (पहुंच, गुणवत्ता और साम्य, आजीवन अधिगम);
	  ○ प्रौद्योगिकी;
	  ○ कार्य (अवसर, पारिश्रमिक व कार्य स्थिति); एवं
	  ○ संरक्षण और संस्थाएँ (सामाजिक सुरक्षा और समावेशी संस्थान)।
	• **प्रमुख निष्कर्ष**
	  ○ **डेनमार्क** प्रथम स्थान पर है, उसके उपरांत **नॉर्वे, फ़िनलैंड और स्वीडन** का स्थान है।
	  ○ **भारत,** 82 अर्थव्यवस्थाओं में **76वें** स्थान पर है। यह आजीवन अधिगम में 41वें और कार्यशील परिस्थितियों में 53वें स्थान पर है।

6.6. पुरस्कार

(Awards)

नारी शक्ति पुरस्कार	• हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2019 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं।
	• ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष **8 मार्च** को **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस** के अवसर पर भारत के **राष्ट्रपति** द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इनके माध्यम से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण हेतु असाधारण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को मान्यता दी जाती है।
	• ऐसे व्यक्तियों, समूहों, संस्थानों या गैर-सरकारी संगठनों को इससे सम्मानित किया जा सकता है, जिन्होंने:
	  ○ निर्णय निर्माणकारी भूमिकाओं में भागीदारी हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित किया हो।
	  ○ पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रकों में महिलाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित किया हो।
	  ○ ग्रामीण महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की हो।
	  ○ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित किया हो।
	  ○ महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण आदि के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया हो।
	• पूर्व में इन्हें **'स्त्री शक्ति पुरस्कार'** के नाम से जाना जाता था।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार	• हाल ही में, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार-2019 के अंतर्गत 36 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। • **लिनी पुथुसेरी** को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिनका केरल में निपाह वायरस से संक्रमित रोगी की देखभाल करते समय निधन हो गया था।

VISION IAS

	• सरकार ने वर्ष 1973 में समाज के प्रति नर्सों की उल्लेखनीय सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की शुरुआत की थी। • वर्ष 2019 के पुरस्कारों के वितरण का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नर्सिंग अनुभाग से भारतीय नर्सिंग परिषद को हस्तांतरित किया गया है। • फ्लोरेंस नाइटिंगेल (जिन्हें द लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है) एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद और समाज सुधारक थीं। वह आधुनिक नर्सिंग की अवधारणा की जननी थीं। • विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया है।

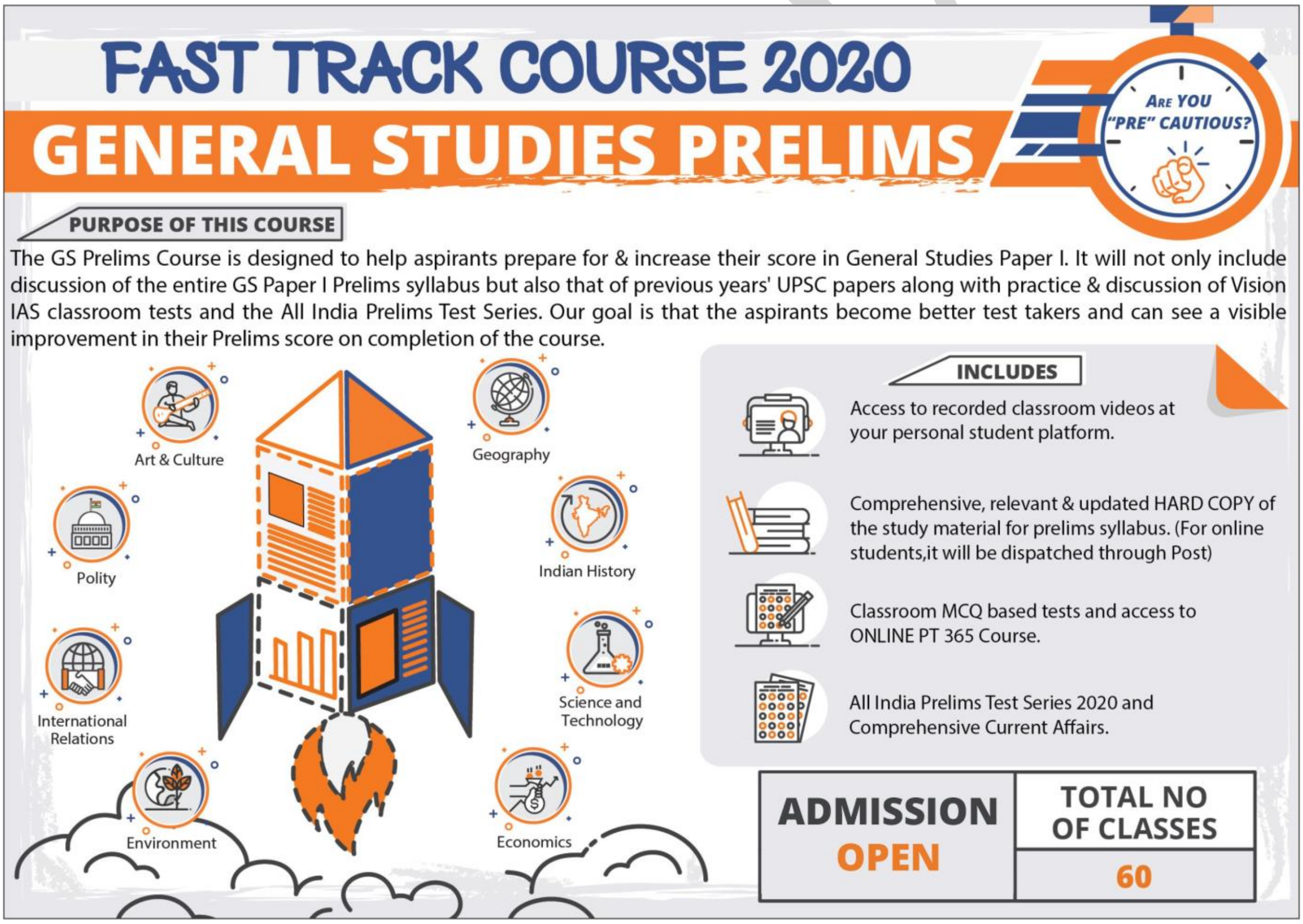

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.